



ARE YOU DREAMING TO BE AN

Our Offerings

- Personal Mentorship 1:1 by Subject Expert
- GS Integrated Live Classes
- Exclusive NCERT Coverage
- Intergrated Prelims Cum Mains + Essay Test Series
- Weekly Test, Revision and Personal Guidance
- Online/Offline Sessions

TALK TO US 8410000036, 7065202020, 8899999931

BOOK FREE DEMO SESSION www.eliteias.in

स्टार्टअप: समझें बुनियादी बातें

आजकल स्टार्टअप्स का दौर है और ये हमारे समय की पहचान बन गए हैं। यहाँ स्टार्टअप्स से जुड़े रोज़मर्रा सुने जा रहे कुछ प्रमुख शब्दों को आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है।

स्टार्टअप क्या है?

स्टार्टअप नया-नया शुरू किया गया ऐसा उद्यम है जो प्राय: रोज़-मर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करता है। अनेक स्टार्टअप समाज की जरूरतों को पूरा करते हैं इसलिए इनके विकास की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए, ये निवेशकों और धन उपलब्ध करने वालों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है?

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप संस्कृति तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए मज़बूत और समावेशी माहौल तैयार करना है। 16 जनवरी, 2016 की शुरुआत से अब तक, इस योजना के तहत उद्यमियों की मदद करने और भारत को रोज़गार-याचक देश की बजाय रोज़गार-सर्जक देश बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

यूनिकोर्न क्या है?

यूनिकोर्न ऐसे चुनिन्दा स्टार्टअप हैं जिनकी कारोबार का मूल्यांकन (वैल्यूएशन) एक अरब डॉलर या अधिक हो गया हो। सीड फंडिंग क्या है?

सीड फंडिंग किसी कारोबारी प्रतिष्ठान अथवा उद्यम द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से जुटाई गई रकम है। 2021-22 में शुरू की गई (1 अप्रैल, 2021 से लागू) स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना चार वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत, स्टार्टअप्स को उत्पाद की अवधारणा के प्रमाणन, उत्पाद के प्रोटोटाइप के विकास और उसके कारगर होने के परीक्षणों, उत्पाद को बाज़ार में लाने और फिर व्यावसायिक तौर पर कारोबार के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।

#startupindia

ਤਵੇਸ਼ਹ

व्यापार करने में आसानी



प्रारं स्टार्टअप्स पर विनियामक बोझ को कम करने के लिए, विससे वे अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अनुपालन लागत कम रख सकें।

पात्रता DPIIT ने उन स्टार्टअप्स को मान्यता दी जो निगमन के 10 वर्षों के भीतर हैं।

पंजीकरण की प्रक्रिया

 भेट करें अम और रोजगार मंत्रालय के अम सुविधा पोर्टल पर जाने के लिए https://shramsuvidha.gov.in/startUp.action
Register at Shram Suvidha Portal and then login.
(https://shramsuvidha.gov.in/signupUser)
सफल लॉग-इन के बाद, "Is Any of लिंक पर क्लिक करें। आपकी स्थापना एक स्टार्टअप है?''
4. निर्देशों का पालन करें।





इंक्यूबेटर क्या है?

इंक्यूबेटर ऐसी संस्थाएं हैं जो नये स्टार्टअप्स को बुनियादी ढाँचे के विकास, व्यावसायिक समझ और कौशल तथा वित्तीय मदद उपलब्ध कराती हैं ताकि वे संभल कर नवाचारों के साथ आगे बढ़ सकें। स्टार्टअप्स के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में इस समय 400 से ज्यादा इंक्यूबेटर हैं। ये सभी अभी अपने शुरुआती दौर में हैं।

पिच किसे कहते हैं?

पिच स्टार्टअप शुरू करने वाले द्वारा संभावित निवेशक के सामने अपने कारोबार का परिचय कराती संक्षिप्त प्रस्तुति है। पिच का उद्देश्य कारोबार से जुड़े सारे सवालों का जवाब देना नहीं होता, बल्कि इसके बारे में और अधिक जानने-समझने के लिए निवेशक की दिलचस्पी बढाना है।

एंजेल इन्वेस्टर कौन होते हैं?

'एंजेल इन्वेस्टर' किसी नये-नये उद्यम या कारोबार में इक्विटी के बदले उसके विकास में रकम लगाते हैं और इनमें से किसी एक शर्त को अवश्य पूरा करते हैं-

- ऐसे निवेशक जिनकी (अन्य मानदंडों के अलावा) शुद्ध संपत्तियाँ कम से कम 2 करोड़ रुपये की हों।
- ऐसा निगमित निकाय, जिसकी कुल सम्पदा का मूल्य कम से कम दस करोड़ रुपये हो।
- 3. संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत आल्टर्नेट इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ़) के रूप में पंजीकृत हो अथवा सेबी (वेंचर कैपिटल फंड) रेगुलेशन्स, 1996 के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) के रूप में पंजीकृत हो।

स्रोत : स्टार्टअप इंडिया, पीआईबी

खर्ष : 67 अप्रैल अंक : 04 चंत्र-वैगार

अप्रैल 2023 चैत्र-वैशाख, शक संवत् 1945 मूल्य : ₹ 22 पुष्ठ : 56

संपादक डॉ ममता रानी, कांता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डीकेसी हृदयनाथ आवरण : बिन्दु वर्मा

<mark>योजना</mark> का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्राँड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-27** पर देखें।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें –

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें-

दूरभाष : 011-24367453

(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें– अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003





 भारत की जी20 अध्यक्षता में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिंस्टम का नया सवेरा डॉ चिन्तन वैष्णव, सुमैया यूसुफ
इं चिन्तन वैष्णव, सुमैया यूसुफ
कुषि-स्टार्टअप: चुनौतियाँ और अवसर डॉ जगदीप सक्सेना
भारत में महिला उद्यमिता :

- गारत न नहिला उद्यामत एमएसएमई क्षेत्र समीरा सौरभ
- अमृतकाल' में भारतीय एमएसएमई के लिए अवसर डॉ फेज अस्कारी
 स्टार्टअप्स : अंतिम पडाव
- 43 स्टाटअप्स : आतम पड़ाव तक पहुँचते हुए रेबांत जुयाल
- 97 जनसंचार माध्यमों से अंत्योदय प्रो संजय द्विवेदी

2 क्या आप जानते हैं ?

🧧 इंक्यूबेटर्स : सक्षम करते हैं विकास व वृद्धि

ि विकास पथ जेम: स्टार

जेमः स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में लाना



प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पु.सं. 25

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुज़राती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।



शिक्षा और कौशल के माध्यम से क्षमताओं का निर्माण आर्थिक वृद्धि में सहायक है। खेल बजट युवाओं को खेलों में करियर बनाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। महिलाओं, दिव्यांगों तथा ग्रामीण युवाओं को समान अवसर प्रदान करने वाली समग्र खेल संस्कृति तैयार करने के लिए 'खेलो इंडिया' अभियान 1000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन, युवाओं का खेलों के प्रति बढ़ता आकर्षण दर्शाता है। युवा नये एवं विकसित भारत की आत्मा है।

सुधा गाजियाबाद

सबका साथ सबका विकास

केन्द्रीय बजट के माध्यम से 'सबका साथ सबका विकास' लेख पढा। पढ्कर अत्यंत हर्ष हुआ कि केन्द्र सरकार के बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं के कौशल को और विकसित करने, आदिवासियों को मूल सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उनके रोजगार व स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराने एवं कमजोर वर्गों को उसका लाभ पहुँचाने के नए अवसर सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर आदि भी मुहैया कराना इस बजट में शामिल है। अमृतकाल का प्रथम बजट स्थिर, सुसंगत, समावेशी और स्त्री-पुरुष समानता उन्मुख बजट देश के सामर्थ्य को दर्शाता है। इस लेख में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और लडकियों के लिए नई बचत योजनाओं की घोषणा, युवाओं, छोटे व सीमांत किसानों तथा उद्यमियों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने व उन्हें सशक्त बनाने, क्षेत्र विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास का विशेष उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट पारदर्शिता और प्राप्त लक्ष्यों पर आधारित है। बजट स्त्री-पुरुष समानता तथा समावेश पर ज़ोर देता है। 2023-24 का यह बजट एक अमृत बजट है।

– दक्ष देव रोहतक

कृषि का समावेशी विकास

योजना पत्रिका के केन्द्रीय बजट संस्करण में कृषि का समावेशी विकास और आधुनिकीकरण लेख पढ़ा। यह लेख ज्ञानवर्धक व जानकारीपूर्ण लगा। देश की आजादी के 75वें वर्ष यानी अमतकाल के इस पहले बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास व उत्थान के लिए विशेष प्रावधानों की चर्चा की गई। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सेवाओं के साथ-साथ कृषि में मोटे अनाज को विशेष स्थान दिया गया है। कृषि के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ-साथ पर्यावरण व मिटटी की उर्वरता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में कृषि व कृषि उद्यमियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए अहम कदम उठाए गये हैं तथा इसके लिए अलग से राशि आवंटित की गई है। पर्यावरण, किसान व आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक खेती पर भी विशेष बल दिया गया है। आधनिक तकनीक का उपयोग पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। रासायनिक खादों की बजाय जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। बजट में अनेक योजनाओं को लागू करके कृषि, पशुपालन व संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना, कृषि के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

> – अर्श नई दिल्ली

बजट से सशक्त होगी युवा पीढ़ी

योजना पत्रिका के मार्च अंक में 'बजट से सशक्त होगी भारत की युवा पीढ़ी' लेख पढ़ा। जानकारियों से भरपूर यह संस्करण युवाओं के कौशल के जरिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करना जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। युवाओं की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए सरकार ने बजट में कई नीतियां लागू की हैं। समस्त क्षेत्रों में युवा देश के विकास में सार्थक योगदान कर रहे हैं। मौजूदा बजट युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण वाला आकांक्षाओं से भरा है। शिक्षा एवं कौशल समावेशी विकास के आधार स्तंभ हैं। गुणवत्तापूर्ण 

नये भारत के लिए स्टार्टअप

स्टा र्ट अ प इं डि या

म अपने जीवन, व्यवसाय और सपनों की कहीं न कहीं से शुरुआत करते हैं। यह अपनी कामनाओं की राह पर चल पड़ने, किसी अनूठे विचार को सँजोने और फिर उसे साकार करने, राह में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और विश्वास के साथ चुने गए लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा है। यह ऐसे नवीन समाधानों, उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की भी यात्रा है जिनसे अपने परिवेश–समाज को बेहतर बनाने की नई राहें, नये साधन मिलें।

भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के पीछे यही विचार है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मज़बूत, समावेशी परिवेश बनाना है। ऐसे परिवेश में सतत आर्थिक विकास को बल देने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजित करने की भी क्षमता है। इस पहल के जरिए सरकार नवाचारों और नये स्वरूपों में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना चाहती है। 2016 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत, उद्यमियों की मदद करने, स्टार्टअप्स के लिए मज़बूत परिवेश बनाने और भारत को रोज़गार-याचक देश की बजाय रोज़गार-सर्जक देश बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

इस पहल के उद्देश्य हासिल करने के लिए सरकार ने एक कार्य-योजना बनाई है जिसमें स्टार्टअप परिवेश के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस कार्य-योजना से स्टार्टअप आंदोलन तेज़ होगा और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में भी इसका दायरा बढ़ेगा। साथ ही, इसका फैलाव वर्तमान महानगरों के साथ-साथ दूसरी और तीसरी श्रेणियों के शहरों, उपनगरीय तथा ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ेगा। स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत मुख्यत: नये उद्यमों और कारोबारों के इन पक्षों में मदद की जाती है – प्रक्रियाओं को सरल बनाना और इन्हें पूरा करने में मदद करना; नियमों का पालन आसान बनाना; स्टार्टअप के आगे न बढ़ पाने की स्थितियों में इन्हें छोड़ पाने की आसान प्रक्रियाएँ; क़ानूनी मदद; पेटेंट आवेदनों का तेज़ी से निपटान; ज्यादा से ज्यादा जानकारियाँ वेबसाइट के जरिए उपलब्ध कराना; धन उपलब्ध कराना और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देना; आयकर और कैपिटल गेन में छूट के प्रावधान; स्टार्टअप्स को ज्यादा धन मुहैया करा पाने के लिए संबंधित फंडों को भी धन देने के लिए एक और फंड (फंड ऑफ़ फंड्स) बनाना और ऋण गारंटी योजना का प्रावधान; नये स्टार्टअप्स को सहारा दिलाने के लिए इंक्यूबेशन की व्यवस्था; उद्योग और शिक्षा जगत के बीच भागीदारी; नये इंक्यूबेटर और इनोवेशन लैब्स खोलना; प्रोत्साहन और जानकारी देने के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन और अनुदान मुहैया कराना। स्टार्टअप इकोसिस्टम से हमारे जीवन और आसपास नई दृष्टि और ऊर्जा के संचार होने को 'योजना'

के इस अंक का विषय बनाया गया है। इस अंक में विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के अवसरों और संभावनाओं की भी चर्चा की गई है। साथ ही, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पहलों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई है ताकि देश के युवा अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करने को प्रेरित हो सकें।

ये स्टार्टअप हमारी आम ज़िंदगी की अनेक समस्याओं के नवीन और टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। युवाओं में नये तरीके से सोचने और चली आ रही प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को चुनौती देने की क्षमता होती है। स्टार्टअप हमारे युवाओं की कल्पना और क्षमता को पंख लगा देते हैं ताकि वे नये भारत की विकास-यात्रा में भागीदार बन सकें।



प्रमुख आलेख

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में युवाओं के लिये अवसर

स्टार्टअप संस्थाओं की दास्तान का संबंध सिर्फ संख्याओं से नहीं है। यह नये भारत में नूतन अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता की कहानी है। इस नये भारत में नीतियों के केंद्र में एक सुविचारित अर्थनीति है जिससे जरूरी बदलाव आ रहे हैं। मौजूदा समय में विश्व मानव सभ्यता की जटिलतम समस्याओं के समाधान मुहैया कराने में भारतीय युवाओं की क्षमता, ज्ञान और ताकत का लोहा मानता है। भारत सरकार देश में विश्व भर से पूँजी निवेश और सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष परिपाटियाँ लाने में सक्षम रही है।

अनुराग सिंह ठाकुर

सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री। ईमेल : minister.inb@gov.in

भारत को विश्वगुरु बनाएगी। इस यात्रा से यह स्थापित होगा कि इक्कीसवीं शताब्दी वास्तव में भारत की सदी है।

वर्तमान में विश्व की उम्र तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन भारत अब भी नौजवान है और 2070 तक सबसे युवा बना रहेगा। हमारे 1.4 अरब मानव संसाधनों में से लगभग एक अरब भारतीय 35 साल से कम उम्र के हैं। हमारी औसत उम्र 29 वर्ष है। वर्ष 2047 में वैश्विक श्रम बल का 21 प्रतिशत भारत में होगा।

रव का सबसे युवा लेकिन विशालतम लोकतंत्र भारत 75 साल का हो चुका है। राष्ट्र 2047 में अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने अगले 25 वर्षों को अमृतकाल का

नाम दिया है। यह 2047 के बाद शुरू होने वाले स्वर्णिम युग का द्वार होगा। प्रधानमंत्री ने तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी जाहिर किया है। आज के युवा उस रथ के अर्जुन हैं जो भारत को अमृत यात्रा पर ले जाएंगे। यह यात्रा



भारत सरकार योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का काम बारीकी से कर रही है ताकि देश अपनी अनुकूल जनसांख्यिकी का लाभ पूरी तरह उठा सके। भारतीय युवाओं को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिये भारत सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनमें स्टार्टअप इंडिया निर्णायक और असाधारण है। स्टार्टअप, उद्यमिता और सीडिंग जैसे शब्दों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय 16 जनवरी, 2016 को शुरू किये गये स्टार्टअप इंडिया को ही जाता है। यह राष्ट्र के नवोन्मेषकों, उद्यमियों और चिंतकों का आह्वान करता है कि वे भारत के संवहनीय आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसरों के सृजन में नेतृत्वकारी भूमिका संभालें। स्टार्टअप इंडिया भारत के तेज़ रफ्तार, सतत नवोन्मेषी और मज़बूत उद्यमिता तंत्र की वैश्विक तौर पर प्रसिद्ध यात्रा का प्रतीक बन गया है।

स्टार्टअप संस्थाओं की दास्तान का संबंध सिर्फ संख्याओं से नहीं है। यह नये भारत में नूतन अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता की कहानी है। इस नये भारत में राजनीति के केंद्र में एक सुविचारित अर्थनीति है जिससे जरूरी बदलाव आ रहे हैं। भारत में स्टार्टअप का गठन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत सरकार देश में स्टार्टअप संस्थाओं को सभी आवश्यक नीतिगत, संस्थानिक और नियामक व्यवस्थाएं मुहैया करा रही है।

नया भारत : युवाओं के लिये अवसर

मौजूदा समय में भारत आकार और पैमाने, दोनों के लिहाज से अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध करा रहा है। भारत सरकार देश में विश्व भर से पूँजी निवेश और सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष परिपाटियां लाने में सक्षम रही है। वह प्रतिबद्ध नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिये तेज़ व्यावसायीकरण को भी प्रेरित कर रही है। हम अपने युवा उद्यमियों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्प हैं।

आज़ादी मिलने के बाद से भारत में कुल 950 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (एफडीआई) हुआ है। इसमें से 532 अरब डॉलर का एफडीआई पिछले लगभग आठ वर्षों में आया है। सबसे अच्छी बात यह कि एफडीआई कुल 162 देशों से 61 सेक्टरों में 31 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में किया गया है। डिजिटल इंडिया जैसे कदमों से गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आने के परिणामस्वरूप खासतौर से राष्ट्र के दूरदराज के हिस्सों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा मिला है। मार्ग पोर्टल नवोन्मेषकों और स्टार्टअप संस्थाओं को महत्वपूर्ण अवसरों और वित्त पोषण तंत्र का लाभ उठाने में मदद कर रहा है। यह नये भारत में समावेशी विकास का सबूत है। इससे पता चलता है कि कैसे अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भारत की विकास गाथा के केंद्र बन गये हैं।



हमारे स्टार्टअप कामकाज के तौरतरीकों में बदलाव ला रहे हैं और मेरा विश्वास है कि वे नये भारत की रीढ़ बनेंगे। - श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री



स्टार्टअप इंडिया किट

स्टार्टअप इंडिया के तहत मिलने वाले लाभों और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये स्टार्टअप इंडिया किट देखें। यह किट स्टार्टअप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.startupindia-gov.in पर उपलब्ध है।

इस किट में बाज़ार पहुँच, नियामक अनुपालन, सरकारी खरीद, वित्त पोषण, टैक्स और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मामलों में मिलने वाली सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है। किट में स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (www.startupindia-gov.in)

के बारे में भी जानकारियां दी गयी हैं। यह प्लेटफॉर्म परामर्शदाताओं, निवेशकों, इंक्यूबेटरों, गतिवर्धकों, कॉरपोरेट और स्टार्टअप संस्थाओं तथा आकांक्षापूर्ण उद्यमियों का नेटवर्क होने के साथ ही नि:शुल्क सेवाओं, ज्ञान मॉड्यूलों, सरकारी योजनाओं, अवधारणा बैंक और सक्रिय कार्यक्रमों की जानकारी भी मुहैया कराता है।





बाज़ार की मांगों को पूरा करने में स्टार्टअप की भूमिका

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार 2000 के बाद जन्म लेने वाला हर भारतीय अपने जीवनकाल में 2,40,000 डॉलर खर्च करेगा। इस संख्या को 1.6 अरब से गुना कर दें तो यह 384 खरब डॉलर हो जाती है। वर्ष 2047 तक भारतीय स्वदेशी बाज़ार तथा मांग का आकार और परिमाण बहुत विशाल होगा।

मौजूदा समय में विश्व की आबादी का 11 प्रतिशत हिस्सा भारतीय गांवों में रहता है। हर मिनट लगभग 30 व्यक्ति भारतीय गांवों से शहरों में जा रहे हैं। वर्ष 2047 तक विश्व के मध्यवर्ग का 20 प्रतिशत हिस्सा भारत में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 25 वर्षों में एक पूरी तरह से नयी शहरी आबादी होगी। इसे आवास, अवसंरचना, भोजन, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक सुरक्षा समेत हर चीज की जरूरत होगी। इस तरह, युवा उद्यमियों के सामने नवोन्मेष और बाज़ार में सकारात्मक हस्तक्षेप के लिये असंख्य क्षेत्र हैं। स्टार्टअप संस्थाओं के सामने लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने का अवसर मौजूद है।

ज्ञान-आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था में संभावनाएं


वित्त मंत्री ने 2023-24 के संघीय बजट में भारत को ज्ञान आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। इसका मतलब समूची अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक डिजिटलीकरण है। भारत सरकार सरकारी प्रक्रियाओं के शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण की ओर बढ रही है ताकि उन्हें ज्यादा नागरिक केंद्रित बनाया जा सके। इसके तहत देश में किसानों के लिये एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान को बढावा देने के लिये निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों तथा अनुसंधान और विकास कंपनियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढावा देने के लिये उत्कृष्टता केंद्रों के जरिये एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उददेश्य से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र संस्थानों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना भी की जा रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कृत्रिम मेधा, कोडिंग, 3डी प्रिंटिंग तथा वस्तु इंटरनेट का कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देश में 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र, तीन कृत्रिम मेधा उत्कृष्टता केंद्र और 5जी एप्लीकेशनों के विकास के लिये 100 प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। सबको समान अवसर मुहैया कराने के मकसद से सरकार 47 लाख युवाओं को वजीफा देगी।



ऊर्जा क्षेत्र में अवसर

वर्तमान में भारत सबसे ज्यादा खर्च ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में करता है। सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। बजट में संवहनीय जीवनशैली को प्रोत्साहन देने के अलावा स्वच्छ ऊर्जा के लिये 35000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हरित हाइड्रोजन मिशन को 20000 करोड़ रुपये दिये गये हैं। भारत का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में चौथा स्थान है। जम्मू-कश्मीर में हाल में लीथियम के भंडार का पता चला है जिससे नये अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सफलता की गारंटी है। युवाओं और स्टार्टअप संस्थाओं को इसका लाभ उठाना चाहिये ताकि भारत 2047 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर और शुद्ध निर्यातक राष्ट्र बन सके।



सरकार भारतीय डिजिटलीकरण से उत्पन्न आंकड़ों के उपयोग से संबंधित एक राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस नीति जल्दी ही लाने वाली है। इससे देश के आंकड़े नयी प्रौद्योगिकियों और नवोन्मेषों के विकास के लिये भारतीय युवाओं को उपलब्ध होंगे।

भविष्य की प्रौद्योगिकी में भारतीय नवोन्मेषक

पिछले साल विश्व में रियल टाइम लेन-देन का 41 प्रतिशत हिस्सा भारत में हुआ। इतिहास में पहली बार इस तेज़ रफ्तार और बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है। भारत स्वतंत्र विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

भारत प्रौद्योगिकी उद्योग में तेजी से कदम बढा रहा है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ-नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नासकॉम) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में इससे पहले के वित्त वर्ष की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की वृद्धि दर 15.5 प्रतिशत रही। इस दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र का राजस्व 200 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा हो गया। कृत्रिम मेधा, ब्लॉकचेन, एनीथिंग ऐज ए सर्विस (एक्सएएएस), प्लेटफॉर्माइजेशन, क्लाउड कंप्युटिंग, साइबर सुरक्षा, हाइपर स्केल कंप्यूटिंग, वस्तु इंटरनेट, मशीन लर्निंग और आपूर्ति शुंखला जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकीय उपक्षेत्रों में मांग और विकास में बढोतरी देखने को मिल रही है जिसका फायदा स्टार्टअप उठा सकते हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर चलते हुए इन स्वदेशी व्यवसायों को वैश्विक विशाल प्रतिष्ठानों के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिये तैयार है। वह इस बात के लिये प्रयासरत है कि भारतीय नवोन्मेषक भविष्य की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेतत्वकारी भूमिका निभाने में सक्षम बनें।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति : स्टार्टअप के लिये वरदान

व्यवसाय और जीवन सुगमता बढ़ाने के लिये 17 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति–नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (एनयेलपी) शुरू की गयी। इस नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स के खर्च को मौजूदा 13-14 प्रतिशत से घटा कर विकसित देशों के स्तर पर लाना है। इससे स्वदेशी और

समर्थन के 3 प्रमुख स्तंभ




स्टार्टअप संस्थाओं को बंद करने की सरल प्रक्रिया, क़ानूनी मदद, पेटेंट आवेदनों का तेज़ी से निपटाने तथा सूचना असमानता घटाने के लिये वेबसाइट



उद्भवन और उद्योग शिक्षा जगत की भागीदारी: अनेक इंक्यूबेटरों और नवोन्मेष प्रयोगशालाओं की स्थापना, कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और अनदान

#2

वित्त पोषण और प्रोत्साहन योग्य स्टार्टअप संस्थाओं के लिये आयकर और पूँजी लाभ कर में छूट, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में ज्यादा पूँजी निवेश के लिये कोष तथा ऋण गारंटी योजना



अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धिता बढ़ेगी। साथ ही खर्च में कमी से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाने की कोशिशें तेज़ होंगी तथा मूल्य संवर्द्धन और उद्यम को बढावा मिलेगा।

एनएलपी की परिवर्तन लाने की क्षमता गतिशक्ति, सागरमाला और भारतमाला जैसी कनेक्टिविटी और अवसंरचना में सुधार लाने की पिछली योजनाओं के साथ मिल कर और भी बढ़ जाती है।


आवासन, अवसंरचना, मनोरंजन, आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में अवसरों के साथ ही ऊर्जा, अंतरिक्ष और विज्ञान, मृदु शक्ति, पर्यटन, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्र भी भारतीय स्टार्टअप संस्थाओं को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखते हैं।

एवीजीसी सेक्टर

भारत में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में हाल के दिनों में अभूतपूर्व वृद्धि दर देखी गई है, जिसमें कई वैश्विक खिलाड़ी युवाओं को रोजगार के अपार अवसर प्रदान करके भारतीय प्रतिभा पूल में प्रवेश कर रहे हैं। ये स्टार्टअप, सरकारी पहलों के माध्यम से, अपने उद्यम और नवाचार के माध्यम से वैश्विक बाज़ारों में अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं।

भारत - विश्व का ज्ञान और विषयवस्तु केंद्र

खेल के साथ ही योग-अध्यात्म, संगीत-सिनेमा तथा दर्शन-साहित्य भी विश्व भर में भारत का वर्चस्व स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा कार्यक्रमों में भारत के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस



सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। लिहाजा, हमें स्टार्टअप के जरिये भी भारत की मृदु शक्ति क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के तौर-तरीके विकसित करने चाहिए।

रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र

हमारा देश दशकों तक रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। लेकिन अब हम दुनिया के 75 देशों को इन उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं। भारत से रक्षा निर्यात पिछले पांच वर्षों में छह गुना बढ़ गया है। सरकार ने 2024-25 तक भारत से रक्षा निर्यात को 1.5 अरब डॉलर से बढ़ा कर पांच अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार ने रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवोन्मेष-इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सिलेंस (आईडेक्स) फ्रेमवर्क शुरू किया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप संस्थाओं, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा शिक्षा जगत के सहयोग से रक्षा, विमानन और अंतरिक्ष क्षेत्रों में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकीय विकास को प्रोत्साहित करना तथा आत्मनिर्भरता को बढा़वा देना है। इस फ्रेमवर्क के तहत अब तक सात डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किये जा चुके हैं।

आइडेक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकार नवोन्मेष, डिज़ाइन और विकास पर ध्यान दे रही है। वह प्रोटोटाइप के सफल विकास के लिये स्टार्टअप संस्थाओं और नवोन्मेषकों को सहायता मुहैया करा रही है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के विभिन्न दौरों में बड़ी संख्या में स्टार्टअप संस्थाओं ने हिस्सा लिया है। अब तक प्रोटोटाइप विकास के लिये 136 स्टार्टअप संस्थाओं को शामिल कर 102 अनुबंध किये गये हैं। मंत्रालय ने 14 आइडेक्स उत्पादों की आवश्यकता को मंजूरी दे दी है। इससे आइडेक्स विजेताओं को आपूर्ति का आदेश देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिये 498.78 करोड़ रुपये के बजट अनुदान से आइडेक्स से संबंधित केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। रक्षा बलों की ओर से जो समस्याएं सामने लायी जा रही हैं उनके प्रौद्योगिकी और प्रोटोटाइप विकास के जरिये तुरंत समाधान के लिये उन्हें आइडेक्स फ्रेमवर्क के अधीन लाया जाता है।

कृषि स्टार्टअप

2014 में कृषि बजट 25000 करोड़ रुपये से कम का था। लेकिन अब यह 1,25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है। भारत में नौ साल पहले कोई भी कृषि स्टार्टअप नहीं था मगर अब इनकी संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप संस्थाओं के लिये गतिवर्धक कोषों के सृजन से डिजिटल अवसंरचना निर्माण के साथ ही वित्त पोषण के रास्ते भी तैयार हो रहे हैं। युवाओं और नौजवान उद्यमियों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिये आगे बढ़ना चाहिये। छोटे किसानों के लाभ और कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप संस्थाओं के



विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

विश्व में भारत की पताका लहराने के लिये नवोन्भेषी युवा वर्ग की सराहना की जानी चाहिए। उसकी बदौलत ही भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया भर में हलचल पैदा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है, ''भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का जुनून, सच्चाई और ईमानदारी से भरा होना उसकी ताकत है। वह सतत स्वअन्वेषण करते हुए खुद में सुधार लाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वह लगातार सीखते और खुद में परिवर्तन लाते हुए अपनेआप को नयी स्थितियों के अनुरूप ढाल रहा है।'' मैं सभी युवा उद्यमियों को उज्ज्वल भविष्य के लिये शुभकामनाएं देता हूं। आपकी स्टार्टअप संस्थाओं के लिये समूचा विश्व एक मंच है। आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ें।

जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान! 🔳

स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की नींव

09/00

स्टार्टअप नये भारत की रीढ़ हैं। स्टार्टअप्स का पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार को प्रोत्साहित कर रहा है और नये युवा उद्यमियों, नये विचारों वाले व्यवसायों तथा व्यवसाय करने के नये तरीकों को बढ़ावा दे रहा है तथा उन्हें मज़बूत कर रहा है। आज़ादी का अमृत काल, यानी इंडिया @ 75 से विज़न इंडिया @ 2047 तक की यात्रा में, सरकार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका को धन निर्माता और विकास के वाहक के रूप में देखती है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उद्योग एवं आन्तरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के सचिव। ईमेल: secy-ipp@nic.in

अनुराग जैन

वाचार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर प्रसिद्ध भारत और सतत विकास का आधार है। उद्यमिता वह की विकास क धुरी है जो नवाचार के ज़रिए लोगों के जीवन को संरचित विका बदलने में भूमिका निभाती है। हम 'आत्मनिर्भर भारत' होने के प्रत्येक राज्य अ अपने मिशन की दिशा में काम करते हैं, ऐसे में नवाचार को प्राप्त स्टार्टअप बढ़ावा देना और उद्यमियों को सहायता देना ऐसे दो महत्वपूर्ण और 55 से अ पहलू हैं जो उस गति को निर्धारित करेंगे जिस पर हम विकसित मान्यता प्राप्त देश की स्थिति की ओर बढते हैं।

2016 में लगभग 500 स्टार्टअप्स से लेकर फरवरी 2023 में 92,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की विकास गाथा और पारिस्थितिकी तंत्र तथा समुदाय के संरचित विकास का विषय बन गया है। आज, हमारे पास प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है जो 660 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं और 55 से अधिक विविध क्षेत्रों में है। लगभग 47 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की समावेशिता और विविधता वास्तव में उत्साहजनक है।

देश के आर्थिक विकास में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

फोकस

V FOR EO

वर्ष स्टार्टअप इंडिया के	Ared Mahotsav
नवाचार भारत के लिरे स्टार्टअप प्रोत्साहन	ो - नवाचार भारत से
स्टार्टअप इंडिया	ऋण गारंटी
ऑनलाइन हब	स्कीम
स्टार्टअप इंडिया	स्टार्टअप के लिये
सीड फंड स्कीम	फंड ऑफ़ फंड्स

की क्षमता और महत्व को पहचानते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान 2016 का अनावरण किया। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का जटिल अवसर स्टार्टअप के मानक जीवनचक्र: विचार, सत्यापन, प्रारंभिक कर्षण और प्रवर्धन में निहित है। इनमें से प्रत्येक चरण में हितधारकों या लाभार्थियों का एक अलग समूह है। इसलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'एक आकार, सभी के लिए उपयुक्त' कार्यक्रम या योजनाओं का होना न तो व्यावहारिक था और न ही वांछनीय। तदनुसार, स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के प्रमुख स्तंभों को अलग-अलग दृष्टिकोणों के साथ चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की परिकल्पना की गई थी। कार्य योजना में 'सरलीकरण तथा हैंडहोल्डिंग'. 'वित्त पोषण सहायता तथा प्रोत्साहन', और 'उद्योग-शिक्षा साझेदारी तथा ऊष्मायन' जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य शामिल हैं। कार्य योजना 'स्टार्टअप' को एक अलग आर्थिक स्तंभ के रूप में मान्यता देने के लिए अनकल परिस्थितियां बनाती है और बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किए जाने वाले प्रमख उपायों को निर्धारित करती है।

मिशन मोड पर स्टार्टअप इंडिया पहल को क्रियान्वित करने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 'सही' टीम को संस्थागत बनाने, व्यापार सुगमता के लिए सुधारों की शुरुआत करने, पूरी तरह से डिजिटल नीति और योजना कार्यान्वयन व्यवस्था को सक्रिय करने और सबसे महत्वपूर्ण, हर कार्रवाई के लिए गतिमान समय के लिए कई कार्यनीतियां अपनाई हैं। पहल की दूरदर्शी तथा गतिशील प्रकृति और लाभार्थियों की जनसांख्यिकी को समझते हुए, डीपीआईआईटी ने कार्य योजनाओं को निष्पादित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया हब (द हब) को वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल के रूप में स्थापित किया। यह हब, हब-एंड-स्पोक मॉडल में कार्य करता है और शुरू से अंत तक डिजिटल प्रोग्राम निष्पादन व्यवस्था को सक्षम बनाता है। चाहे वह एक स्टार्टअप, इंक्यूबेटर, संरक्षक, निवेशक, त्वरक या सार्वजनिक प्रशासक हो, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारक स्टार्टअप इंडिया हब के साथ संवाद और सहयोग कर सकते हैं।

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की वित्त पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए, डीपीआईआईटी स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान में परिकल्पित स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) के लिए फंड ऑफ़ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) को लागू कर रहा है। ये योजनाएं स्टार्टअप्स को उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवनचक्र के माध्यम से वित्त पोषण करने में सक्षम बनाती हैं। एसआईएसएफएस अपने विकास

के शुरुआती चरणों में स्टार्टअप्स के लिए अनुदान या ऋण के रूप में वित्त पोषण प्रदान करता है, एफएफएस उच्च विकास स्टार्टअप्स के लिए निजी इक्विटी पूँजी जुटाता है और सीजीएसएस परिपक्व स्टार्टअप्स के लिए ज़मानत मुक्त ऋण वित्तपोषण को बढा़वा देता है।

भारत के संघीय ढाँचे में. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हमारे देश के कोने-कोने में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। स्टार्टअप क्रांति को हर ब्लॉक तक ले जाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बढावा देना और मदद करना महत्वपूर्ण था। इस महत्वाकांक्षा के साथ, डीपीआईआईटी ने राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ) को लॉन्च किया, जो अच्छी प्रथाओं की पहचान करने, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बीच परस्पर सीखने को बढावा देने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल नीति परिदुश्य बनाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गति विकसित करने के लिए है। पिछले कुछ वर्षों में रैंकिंग ढाँचे विकसित तथा अधिक समावेशी हो गए हैं और अधिकांश राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया है, इसे सही मायने में राष्ट्रीय कार्य बना दिया है, जो विश्व स्तर पर अपनी तरह का अनुठा है। एसआरएफ को क्षमता निर्माण के उपायों से मदद मिली है जो साल भर किए जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों के बीच उद्यमशीलता की संस्कृति को पोषित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया यात्रा और स्टार्टअप नोडल अधिकारियों तथा टीमों के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन दौरे जैसी पहल शामिल हैं।

देश में नवाचार, समावेशिता, विविधता तथा उद्यमिता की गहराई, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, डीपीआईआईटी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) की शुरुआत की। हमारे प्रमुख वार्षिक एनएसए में हम रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने वाले कुछ अद्भुत नवाचार देख रहे हैं। एनएसए के विजेता भोपाल, एर्णाकुलम, गुरुग्राम, कोच्चि, लखनऊ, मोरगांव, सोनीपत और तिरुवनंतपुरम जैसे छोटे शहरों से निकले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि असाधारण नवाचार महानगरों से बहुत आगे बढ़ रहा है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, संबंधित हितधारकों के लिए और उनके साथ नीति तथा कार्यक्रम विकसित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, हमने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (एनएसएसी) की शुरुआत करके इस



दृष्टिकोण को अपनाया है। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में, परिषद में लाइन मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों के सदस्य और गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल हैं, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए उपायों के क्षेत्रों की पहचान करने, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उल्लेख करने में परिषद महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभा रही है। परिषद ने एमएएआरजी नेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम, इंक्यूबेटर क्षमता विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल, नौसेना ग्रैंड चैलेंज को अपनाने, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0, आदि जैसे कार्यक्रम परिकल्पित और विकसित किए गए हैं। एनएसएसी, हितधारक संचालित सार्वजनिक नीति व्यवस्था के लिए एक प्रकाशस्तंभ उदाहरण बन गया है और इसमें शामिल

> हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए नये कार्यक्रमों की संकल्पना जारी है।

भारत की जी-20 अध्यक्षता के साथ, हमारे पास न केवल दुनिया के सामने अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर है, बल्कि उद्देश्य की एकता और कार्रवाई की एकता को आगे बढ़ाने का भी अवसर है, जैसा कि हमारी जी-20 अध्यक्षता की थीम, 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' द्वारा दर्शाया गया है। जी-20 के भीतर स्टार्टअप-20 एंगेजमेंट ग्रुप का संस्थानीकरण हमें सामने से नेतृत्व करने का एक और अवसर प्रदान करता है, उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए दुनिया को एकजुट करता है और हमारे स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर ले जाता है।

इस अवधि के दौरान विकास ज्ञान. नवाचार और स्थिरता द्वारा संचालित होगा। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है, अर्थव्यवस्था के वर्गों के डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, स्वच्छ ऊर्जा के लिए परिवर्तन और अभिनव समाधान प्रदान करने के माध्यम से देश के विकास चरण को चला रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के सहयोगात्मक प्रयास सक्षम और लुभावने पारिस्थितिकी तंत्र को और विकसित करने में सर्वोपरि भूमिका निभाएंगे जो भारतीय विचारकों तथा नवप्रवर्तकों को नौकरी चाहने वालों से नौकरी सुजक बनने तक की यात्रा में सशक्त बनाता है।



भारत की जी20 अध्यक्षता में <mark>ग्लोबल</mark> स्टार्टअप इकोसिस्टम का नया सवेरा

डॉ चिन्तन वैष्णव मौजूदा भारत स्टार्टअप२० के अध्यक्ष और भारत सरकार के नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन (एआई)म्कु के निदेशक। इंमेल: Chintan.vaishnav@gov.in सुमैया यूसुफ़

रत की जी20 अध्यक्षता के साथ, वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) के लिये एक नई सुबह हुई है क्योंकि ग्लोबल ट्वेंटी, स्टार्टअप20

सुबह हुइ ह क्याक ग्लाबल ट्वटा, स्टाटअप20 एंगेजमेंट ग्रुप बनाने के भारत के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। यह अवसर ऐसे समय मिला है जब भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तंत्र बन चुका है जिसमें पिछले वर्ष 92,000 से अधिक स्टार्टअप, 108 यूनिकॉर्न और 40 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। आज भारत के हर ज़िले में एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप20, भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का अंतरराष्ट्रीयकरण करने का एक अभूतपूर्व अवसर है। ग्लोबल ट्वेंटी का विस्तार विशाल है जिसमें 7,50,000 से अधिक स्टार्टअप; 41,000 इंक्यूबेटर; 21,000 एंजेल, वैंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड; तथा 1,200 यूनिकॉर्न हैं।

put ttd

ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि स्टार्टअप जी20 के एजेंडा में हैं। 2015 में जी20 की तुर्की की अध्यक्षता के दौरान, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) और उद्यमिता के लिये एक कार्यबल था। इसके बाद, जापान (2019) में युवा उद्यमी गठबन्धन था; इटली में (2021), इनोवेशन लीग; और इंडोनेशिया (2022) में डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क जो भारत की अध्यक्षता के दौरान जारी रखा जा रहा है।

लेकिन यह वर्ष इस मायने में अनूठा है कि ग्लोबल ट्वेंटी राष्ट्राध्यक्षों तक, आधिकारिक नीति विज्ञप्ति के रूप में अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिये स्टार्टअप्स के पास पहले कभी अपना आज जी20 से सम्बद्ध कोई भी चुनौती जटिल है और इसके लिये सभी राष्ट्रों के नवाचारी व्यवसायों का मिलकर कार्य करना आवश्यक है। कहा जा सकता है कि यह मंच, जन्म से ही, स्टार्टअप्स के लिये विश्व का सबसे बड़ा नीति मंच है। इस मंच में महत्वपूर्ण कार्यबलों की एक सूची भी रहेगी। स्टार्टअप20 का उद्देश्य सभी स्टार्टअप्स के लिये एक ऐसा माहौल तैयार करना है जो भारत के जी20 के मूल विषय- एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य के साथ ऐसे सभी स्टार्टअप को बढ़ावा दे।

कार्य-समूह नहीं रहा था।

स्टार्टअप20 का लक्ष्य एक नीतिगत ढाँचा पेश करना है जो एक साथ दो उद्देश्य पूरे करे: (ए) सुविधाजनक सहयोग के लिए वैश्विक स्टार्टअप (इकोसिस्टम्स) तंत्रों के बीच सामंजस्य, और (बी) ऐसा करने के लिये राष्ट्रीय तंत्र की स्वतन्त्रता से किसी तरह का समझौता न किया जाए।


अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए, स्टार्टअप20 ने तीन कार्यबल गठित किये हैं जो एक सम्पन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन कार्यबलों में स्थापन एवं गठबन्धन, वित्त और समावेश एवं निरन्तरता शामिल हैं।

स्थापन एवं गठबन्धन कार्यबल, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच ज्ञान साझा करके वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देने के साथ–साथ जी20 सदस्य देशों, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच ज्ञान की खाई पाटने का काम करेगा। स्टार्टअप या तो अभिनव उत्पादों और सेवाओं से मौजूदा बाज़ार को प्रभावित और बेहतर करते हैं या अभिनव व्यापार मॉडल के साथ मौजूदा समाधानों के लिए नये बाज़ार खोलते और बनाते हैं। स्टार्टअप, कई तरह के बाज़ारों और क्षेत्रों में काम करते हैं और नतीजतन विभिन्न भूभागों में उन्हें और उनके काम का वर्णन करने के लिए कई परिभाषाएँ अपनाई जाती हैं।

इसी तरह, स्टार्टअप को अपने बाज़ारों में टिके रहने और बढ़ने या नई जगह प्रवेश करने के लिए सहायता, साझेदारी और सहयोग की आवश्यकता होती है। सम्भावित स्टार्टअप विकसित करने के लिए, उभरते बाज़ारों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही ऐसे तंत्र तक वैश्विक पहुँच भी बेहतर की जानी चाहिए। दूसरे देशों में बड़ी कंपनियों के सहयोग से स्टार्टअप का विकास, स्टार्टअप्स के विकास की दिशा में अगला आयाम प्रदान करता है और कुछ प्रमुख वैश्विक मुद्दों में भी तेज़ी लाता है। इसी दिशा में काम करने के लिए, स्थापन और गठबन्धन कार्यबल बनाया गया।

इस कार्यबल का मुख्य लक्ष्य आम सहमति-आधारित परिभाषाओं के माध्यम से वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुसंगत बनाना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के बीच ज्ञान साझा करने के लिये वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करना, साझेदारी के माध्यम से जी20 सदस्य देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की स्टार्टअप प्रणालियों के बीच ज्ञानाभाव की खाई पाटना, जी20 देशों में अधिक से अधिक उद्योगों को स्टार्टअप्स के साथ काम करने और ठोस समाधानों में सक्षम बनाना, स्टार्टअप के साथ काम करने के लिए उद्योग और सरकारी संगठनों की सहायक नीतियां बनाना और निरन्तर सहयोग के लिए देश का सम्पर्क बिन्दु प्रदान करना है।

वित्त कार्यबल का उद्देश्य शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए उनकी ज़रूरतों के अनुरूप वित्तपोषण और निवेश प्रदान करके पूँजी तक उनकी पहुँच बनाना है। इस कार्यबल का मुख्य उत्तरदायित्व वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर स्टार्टअप निवेश में स्थिरता लाना, निवेश में उतार-चढ़ाव के कारणों की पहचान करके स्टार्टअप का जोखिम कम करना, कृषि, स्वास्थ्य-देखभाल और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वित्त पोषण असंतुलन कम करना, वित्तपोषण के समान अवसर विकसित करने के लिए सामाजिक, कॉर्पोरेट और वैश्विक हित के क्षेत्रों के बीच अनुरूपता लाना और वित्तपोषण के अवसर विकसित करना है।





इस कार्यबल का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण और निवेश का मंच प्रदान करके पूँजी तक स्टार्टअप की पहुँच बढ़ाना, स्टार्टअप को उपलब्ध वित्तीय साधनों को व्यापक बनाना, स्टार्टअप के लिये वैश्विक निवेशक समुदाय के साथ पिचिंग और नेटवर्किंग के अवसर पैदा करना, ऐसे ढाँचे का निर्माण करना जिसे निवेश के लिये उभरते तंत्र में लागू किया जा सके और जी20 सदस्य देशों में स्टार्टअप को निधि प्रदान करने के लिए वैश्विक निवेशकों के वास्ते बेहतरीन पद्धतियों पर आधारित एक ढाँचा प्रदान करना है।

समावेशन एवं निरन्तरता कार्यबल, लिंग, जाति, वर्ग या पंथ की परवाह किए बिना स्टार्टअप संस्थापकों के लिए समान अवसर पैदा करने के साथ-साथ, समानता और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे कर समावेशी समुदायों का निर्माण करने वाले स्टार्टअप्स के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहता है। यही नहीं, इस कार्यबल का उद्देश्य वैश्विक हित के क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर काम करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, साथ ही अधिक निवेशकों को टिकाऊ पद्धतियों पर आधारित स्टार्टअप में ज़िम्मेदारी से निवेश करने में सक्षम करना है।

कार्यबल पर, स्टार्टअप संस्थापकों के लिए स्टार्टअप पूल का विस्तार करने और विभिन्न अनुभवों के माध्यम से विकसित विविध विचार धाराओं को प्रोत्साहित करने, स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की ज़िम्मेदारी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि और समानता को बल देने के लिये समावेशी समुदायों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं, अभिनव समाधान विकसित करने की सतत पद्धतियों का उपयोग करने के अवसर पैदा करते हैं जो टिकाऊ और बेहतर हैं, पर्यावरण, नवाचारों और समाधानों पर केंद्रित स्टार्टअप के लिए वैश्विक समर्थन प्रणाली तैयार करना जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावित करेंगे या ऐसे व्यापार मॉडल लाएंगे जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से संबंधित चुनौतियों का अभिनव उपायों से सामना करेंगे।

इस कार्यबल का एक महत्वपूर्ण फोकस महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और संगठनों के लिए समर्थन बढ़ाना है। ध्यान केन्द्रित करने का एक अन्य क्षेत्र टिकाऊ पद्धतियों पर निर्मित स्टार्टअप में अधिक निवेशकों को ज़िम्मेदारी से निवेश करने में सक्षम बनाना तथा जी20 सदस्य देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मेंटरशिप समर्थन को प्रोत्साहन देना है।

कार्यबल का नेतृत्व वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के 50 से अधिक चैम्पियन कर रहे हैं।

अपनी विशाल क्षमता और ऐसे मज़बूत कार्यबल के साथ, स्टार्टअप20 वर्तमान में कई महत्वपूर्ण चर्चाओं पर विचार-विमर्श कर रहा है, जैसे वैश्विक नवाचार केंद्र की स्थापना की सुविधा के माध्यम से वैश्विक नवाचार तंत्र को केंद्रीकृत करना। वित्त पोषण और समर्थन तक अधिक पहुँच के साथ, यह दुनियाभर में स्टार्टअप के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा अवसर हो सकता है और इस क्षेत्र में सहयोग के लिए देशों को बढ़ावा दे सकता है, उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है।

वैश्विक सहयोग से स्टार्टअप20 एक ऐसी स्थिति में आना चाहता है जिससे इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियामक सुधारों की वकालत करने, स्टार्टअप के लिए व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए सदस्य देशों को प्रोत्साहित करने और दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिभा, पूँजी और अवसर आकर्षित करने का सामर्थ्य हो।

विश्व आज भी आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में स्टार्टअप और उद्यमिता को विकास और



नवाचार को बल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भारत में प्रतिभाशाली उद्यमियों और निवेशकों के एक विशाल पूल के साथ बड़ा ही सम्पन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है, इसलिए स्टार्टअप20 भी दुनिया के समक्ष सबसे सफल स्टार्टअप पेश करने और एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार कर रहा है जहां ये स्टार्टअप दुनिया भर में मिसाल बन सकें।

स्टार्टअप20 कार्य समूह (एंगेजमेंट ग्रूप) की स्थापना बैठक 27-29 जनवरी, 2023 तक हैदराबाद में हुई, जिसमें 25 देशों के 80 अन्तरराष्ट्रीय और 100 भारतीय प्रतिनिधि ऑफ़िशियल इशु नोट के तहत तैयार उद्देश्यों और परिणामों पर चर्चा की गई। समूह ने, दुनिया भर के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों जैसे स्टार्टअप, निवेशक, इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर, नवाचार एजेंसियाँ, उद्योगों के प्रतिनिधि, बहुपक्षीय संगठनों और दूतावासों (कंट्री मिशनों) को आकर्षित किया। बैठक में, जी20 देशों के साथ-साथ नौ पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व भी रहा।

औपचारिक उद्घाटन के बाद, मेज़बान देश भारत और अतिथि देशों ने अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति की ताज़ा जानकारी दी। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि मिल कर काम करने में कोई देश कहाँ पूरक की भूमिका निभा सकता है और कहाँ अवसर प्रदान कर सकता है। दूसरे दिन, बैठक में इंटरैक्टिव सत्र रखे गये ताकि प्रतिक्रियाएँ मिल सकें कि समूह, स्टार्टअप20 के उद्देश्यों और उत्पाद वितरण (डिलिवरेबल्स) के निर्धारण में कैसे बेहतर कर सकता है। इसमें जो बातें सामने आईं वे नीति विज्ञप्ति के मसौदे में हैं जिस पर सिक्किम में स्टार्टअप20 की दूसरी बैठक में चर्चा की जाएगी।

स्टार्टअप20 में, जी20 अर्थव्यवस्थाओं का स्वागत करने के अलावा, एक अनूठे, ऊर्ध्वगामी, उत्पादन मंच 20X का भी शुभारम्भ किया गया था। स्टार्टअप 20x को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह कार्यबल द्वारा प्रदान किये गये विशेषज्ञ मंच के सुझावों के अलावा, आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करने वाली आवाज़ें सुन कर, वैश्विक स्टार्टअप नीति को सूचित करेगा। स्टार्टअप 20x, दुनिया भर के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों को वैश्विक स्तर पर सह-ब्राँड और अपनी सामग्री साझा करने के लिए आमन्त्रित करके यह लक्ष्य प्राप्त करेगा। सामग्री वितरित करने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म ने कई चैनलों के साथ साझेदारी की है।

स्टार्टअप20 की दूसरी बैठक 18-19 मार्च, 2023 को गंगटोक (सिक्किम) में हुई जिसमें जी20 सदस्य और आमन्त्रित देशों के प्रतिनिधि एक बार फिर जुड़े। यह आयोजन, भारत के बढ़ते और विशिष्ट स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ देश का पूर्वोत्तर दिखाने का एक बढ़िया अवसर रहा। इस आयोजन की सफलता 28-29 जनवरी, 2023 को हैदराबाद में आयोजित उद्घाटन बैठक के दौरान स्थापित एजेंडे पर टिकेगी जिसे जी20 के उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का भारी समर्थन मिला था।

आज, ग्लोबल ट्वेंटी के लिए मायने रखने वाली कोई भी चुनौती जटिल है और सभी देशों के अभिनव व्यवसायों के सहयोग की आवश्यकता है। स्टार्टअप20 के प्रमुख लाभों में से एक, अन्य देशों के अनुभवों, सफलताओं और विफलताओं से सीखने और भुलाने का अवसर है, और इस ज्ञान का उपयोग करके स्टार्टअप को सहारा देने वाली बेहतर नीतियाँ और कार्यक्रम विकसित करना है। सौभाग्य से, आज हमारे सामने ऐसी कोई जटिल चुनौती नहीं है जिसे अभिनव स्टार्टअप दूर न कर रहे हों। स्टार्टअप20 का लक्ष्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जो भारत के जी20 के मूल विषय 'एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य' को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी स्टार्टअप्स को बढा़वा दे।





कृषि स्टार्टअप भारत को ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आधुनिक युग के आगमन के साथ, कृषि अब अतीत की पीड़ा में रहने का जोखिम नहीं उठा सकती है। एक बहुत ही अनोखे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के फलस्वरूप, कृषि-स्टार्टअप के विकास के लिए अपार क्षमता (काफी हद तक अप्रयुक्त) और पर्याप्त अवसर हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी शिक्षा देने और कार्यान्वयन में सहायता के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एग्रीटेक स्टार्टअप और कंपनियों की भागीदारी की घोषणा की गई थी।

डॉ जगदीप सक्सेना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पूर्व मुख्य संपादक। ईमेल: jgdsaxena@gmail.com

की मिट्टी पायी जाती है, जो इसे अत्यंत विविधता से परिपूर्ण बनाते हैं। यह विविधता इसे विभिन्न प्रकार की फसलों, फलों, सब्जियों आदि को उगाने में उपयुक्त बनाती है। भारत वर्तमान में दूध, दलहन, मोटे अनाजों और जूट के साथ ही चावल, गेहूं, फलों और सब्जियों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत हाल ही में कृषि और पशुधन उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। हालांकि, कृषि क्षेत्र भी कई जटिल समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है। खेती में इस्तेमाल होने वाली भूमि धीरे-धीरे कम हो रही है, जो एक बड़ी चिंता का

षि-स्टार्टअप भारत को ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। एक बहुत ही बेजोड़ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के कारण, कृषि-स्टार्टअप के विकास के लिए विशाल क्षमता (काफी हद तक अप्रयुक्त) और पर्याप्त अवसर हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि 156.06 मिलियन हेक्टेयर (2019) है। यह संयुक्त राज्य अमरीका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि भूमि है। हमारे देश में मुख्य रूप से 15 प्रकार के कृषि-जलवायु क्षेत्र और 8 प्रकार विषय है। खेतों का आकार छोटा होने के कारण खेती की लागत बढ़ती है और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में कठिनाई होती है। इसके कारण इनपुट के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने में भी कठिनाई होती है। बहुत-से किसानों को मिटटी, मौसम, बाजार और अन्य विषयों के बारे में समय पर आसानी से जानकारी नहीं मिल पाती है। सामान्य तौर पर, इस तरह की समस्याओं के कारण खेती की लागत बढ़ने, संसाधनों की बर्बादी होने. फसल की हानि होने के साथ-साथ छोटे पैमाने पर उत्पादन हो पाता है। ज्यादातर कृषि-स्टार्टअप तत्काल किसानों की जरूरतों के लिए नवाचारों, प्रौद्योगिकी से जुड़े क्रियाकलापों या व्यवसाय मॉडल के माध्यम से समाधान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार के मौजूदा प्रयासों के परिणामस्वरूप, हमारे देश में अब 3,000 कृषि-स्टार्टअप हैं, जो विभिन्न कृषि क्षेत्रों और संबद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

मोड एंड मॉडल

जनवरी 2016 में, भारत सरकार ने 19-सूत्रीय 'स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान' की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप स्टार्टअप और नवाचारों के पोषण के लिए एक मज़बूत पारिस्थितिको तंत्र बनाने के उद्देश्य से कई नीतिगत/प्रोत्साहन संबंधी पहलों का कार्यान्वयन संभव हुआ। इसके परिणामस्वरूप



हाल के वर्षों में, कृषि क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय व्यवसाय मॉडल उभरे हैं। इनमें 'फार्म टू फोर्क' आपूर्ति शृंखला मॉडल, आईओटी (इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स) या बड़े डेटा-आधारित नवाचार मॉडल और अपस्टीम मार्केट प्लेस मॉडल शामिल हैं। इनमें से अधिकांश कृषि-स्टार्टअप कृषि और कृषि-उद्योग की दक्षता में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य तौर पर, डेटा डिजिटाइजेशन, एसएएएस (एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सेटेलाइट डेटा, ड्रोन और ब्लॉक चेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कार्यरत हैं। कृषि-स्टार्टअप मुख्य रूप से नवाचारों या तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मूल्य शुंखला में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बनाये जाते हैं।

कृषि सहित लगभग हर उद्योग में स्टार्टअप के निर्माण में भारी वृद्धि हुई। भौगोलिक वितरण के संदर्भ में, लगभग 60 प्रतिशत कृषि-स्टार्टअप मुख्य रूप से कुछ राज्यों के पहले और दूसरे दर्जे के शहरों में स्थित हैं। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विश्लेषण के अनुसार, बेंगलुरु देश के स्थापित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हब में से एक है, इसके बाद मुंबई और दिल्ली एनसीआर का स्थान है। कृषि-स्टार्टअप को उनके फोकस क्षेत्रों, जैसे कि कृषि-तकनीक, पशुपालन, सटीक खेती, जैविक कृषि, यांत्रिक, सलाह आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कृषि स्टार्टअप आमतौर पर कृषि मूल्य शृंखला के एक या एक से अधिक चरणों में काम करते हैं। इन्हें सात व्यापक श्रेणियों - आउटपुट मार्केट लिंकेज, इनपुट आपूर्ति की सुगमता, मशीनीकरण और सिंचाई की क्षमता, वित्तीय समाधान (क्रेडिट और बीमा) की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण रखरखाव और अनुमान-योग्य क्षमता में मदद, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, साजो-सामान संबंधी सेवाएँ (वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन) और पशुपालन गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये स्टार्टअप विभिन्न प्रकार के नवाचारों और तकनीकों का उपयोग करके किसानों को समाधान प्रदान करते हैं। वे मुल्य श्रंखला के विभिन्न चरणों में दक्षता में सुधार के लिए इंफ्रास्टक्चर फार्म ऑटोमेशन, सटीक कृषि, इनपुट डिलीवरी, सलाहकार बाजार लिंकेज आदि जैसे उत्पादों या सेवाओं का सृजन करते हैं। हाल के वर्षों में, कृषि क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय व्यवसाय मॉडल उभरे हैं। इनमें 'फार्म टू फोर्क' आपूर्ति श्वंखला मॉडल, आईओटी (इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स) या बडे डेटा-आधारित नवाचार मॉडल और अपस्ट्रीम मार्केट प्लेस मॉडल शामिल हैं। इनमें से अधिकांश कृषि-स्टार्टअप कृषि और कृषि-उद्योग की दक्षता में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य तौर पर, डेटा डिजिटाइजेशन, एसएएएस (एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सेटेलाइट डेटा, ड्रोन और ब्लॉक चेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कार्यरत हैं। कृषि-स्टार्टअप मुख्य रूप से नवाचारों या तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मूल्य शृंखला में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। संस्थापकों के पास किफायती, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ तरीके से मुद्दों/समस्याओं के समाधान के लिए अपनी-अपनी अवधारणाएं हैं। स्टार्टअप अवधारणा से सत्यापन के चरण की ओर बढते हैं, जहां चिह्नित समस्या को हल करने के लिए न्युनतम मूल्य उत्पाद (एमवीपी) विकसित किया जाता है। सफल सत्यापन के बाद, उत्पाद को बल मिलता है, जिससे स्टार्टअप ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं और धनोपार्जन कर सकते हैं। EliteAco

put Ltdi * illia



योजना' (आरकेवीआई-रफ्तार) में 'नवाचार और कृषि-उद्यमिता विभाग' नामक एक नया घटक जोड़ा है। इस कार्यक्रम के तहत. एक चयनित स्टार्टअप अवधारणा/प्री-सीड स्टेज में 5 लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता और सीड स्टेज में 25 लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। इस संबंध में, फायर नॉलेज पार्टनर्स और 24 एग्रीबिजनेस इंक्यूबेटर्स (एबीआई) को कार्यक्रम के सुचारू और कुशल निष्पादन पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है। ज्ञान भागीदारों के रूप में, मैनेज, हैदराबाद; एनएएम, जयपुर: आईएआरआई (पूसा), नई दिल्ली; यूएएस, धारवाड; और एएयू, जोरहाट की पहचान की गई है, जबकि एग्री-बिजनेस इंक्यूबेटर पूरे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में स्थित हैं। इंक्यूबेटीज को एक राष्ट्रीय मीडिया प्रचार अभियान के माध्यम से चुना जाता है, जिसके बाद एक कठोर चयन प्रक्रिया होती है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे कृषि-प्रसंस्करण. खाद्य प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी), सटीक कृषि, डिजिटल खेती आदि में परियोजनाओं के लिए अब तक कार्यक्रम द्वारा 1,100 से अधिक कृषि-स्टार्टअप का चयन और समर्थन किया गया है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग केलकूषि-स्टार्टअप को और भी अधिक समर्थन और बढ़ावा देने 2019-20 में, अपनी प्रमुख योजना, 'राष्ट्रीय कृषि किकास के खिरू, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 'एग्री-हैकाथॉन'

* ipj jnd

Elite,

जब कोई स्टार्टअप धनोपार्जन शुरू करता है, तो वह स्केलिंग चरण में प्रवेश कर सकता है। हालांकि, सभी स्टार्टअप स्केलिंग चरण तक नहीं पहुँचते हैं। कई कृषि-स्टार्टअप विफल होने और गायब होने से पहले एक विस्तारित अवधि के लिए प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं। कृषि-स्टार्टअप में विस्तार करना विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि इसके लिए क्षेत्र परीक्षण/अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है। इसमें कई बाहरी कारक अपने स्वयं के अप्रत्याशित कार्यों को अंजाम देते हैं। नतीजतन, कृषि-स्टार्टअप को सबसे अधिक पोषण समर्थन/सहायता और बीज की उपलब्धता के लिए धन की आवश्यकता होती है।

नीतियां और प्रचार

एक नये कृषि-स्टार्टअप को अपने दम पर खड़े होने के लिए, विभिन्न प्रकार के संगठनों से सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें वित्तपोषण संस्थान, सहायक संगठन (इंक्यूबेटर, त्वरक आदि) शामिल

हैं। कृषि-स्टार्टअप के निर्माण और विकास के लिए एक मजबत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ, भारत सरकार ने कृषि-स्टार्टअप को सुविधाजनक बनाने और बढा़वा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। एग्री-बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर (एबीआई) 2015-16 में देश के विभिन्न हिस्सों में, मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्थापित किए गए थे। एग्री-बिजनेस इंक्यूबेटर उभरते हुए उद्यमियों की पहचान करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, साझा सुविधाओं (कार्यस्थल, बुनियादी ढाँचा आदि) और उपकरण, व्यवसाय विकास, प्रौद्योगिकी, वित्त, सलाह और नेटवर्किंग सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं के माध्यम से उनके विकास को सुगम बनाते हैं। इंक्यूबेशन प्रक्रिया 6 से 36 महीनों तक चल सकती है, जिसमें इंक्यूबेट्स को अपने व्यवसाय मॉडल को मान्य करने और अंत में राजस्व और ग्राहकों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत में, 100 से अधिक कृषि-केंद्रित इंक्यूबेटर हैं, जिनमें से अधिकांश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में रखे गए हैं। स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सभी इन इंक्यूबेटरों का समर्थन करते हैं।

नामक एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है, जहां कृषि-स्टार्टअप पहचानी गई चुनौतियों और समस्याओं के लिए व्यवहार्य और अभिनव समाधान प्रदान कर सकते हैं। भारत के युवा दिमाग, रचनात्मक स्टार्टअप और चतुर नवप्रवर्तक आज भारतीय कृषि के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के लिए नई प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। एक कड़ी प्रक्रिया के बाद, कृषि, प्रौद्योगिकी और विपणन के विशेषज्ञों का एक जूरी विजेताओं का चयन करता है। प्री-सीड और सीड चरणों में आकर्षक धन सहित इंक्यूबेशन समर्थन के लिए विजेता नवाचारों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, संबंधित फोकस क्षेत्रों में सशक्त नवाचारों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कृषि-हैकथॉन की सफलता के बाद अब पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में इसी तरह के आयोजनों की योजना बनाई जा रही है।

कृषि अनुसंधान एवं विकास के शीर्ष निकाय के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देशभर के संस्थानों में 50 कृषि-व्यवसाय इंक्यूबेटरों की स्थापना करके नेतृत्व की भूमिका निभाई है। आईसीएआर-एबीआई, जिन्हें राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि परियोजना (2016-17) के तहत लॉन्च किया गया था, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने वाले स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता और इंक्यूबेशन सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये केंद्र स्थायी व्यावसायिक उपक्रमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करते हैं, साथ ही आरएंडडी लिंकेज, व्यवसाय योजना और प्रबंधन, विपणन, तकनीकी और वित्तीय मुद्दों पर सलाह/परामर्श सेवा के रूप में समर्थन भी प्रदान करते हैं। आईसीएआर-एबीआई व्यावसायीकरण के लिए अपनी मालिकाना प्रौद्योगिकियों का विपणन और प्रसार करता है, साथ ही संभावित उद्यमियों के बीच जागरकता अभियान

एक नये कृषि-स्टार्टअप को अपने दम पर खड़े होने के लिए, विभिन्न प्रकार के संगठनों से सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें वित्तपोषण संस्थान, सहायक संगठन (इंक्यूबेटर, त्वरक आदि) शामिल हैं। कृषि-स्टार्टअप के निर्माण और विकास के लिए एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ, भारत सरकार ने कृषि-स्टार्टअप को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की

Elite

* ipit ing

आयोजित करता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देशभर में राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (टीआईएच) स्थापित किए हैं। इनमें से तीन निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान को धरातल पर उतारने और प्रौद्योगिकी विकास करने के उद्देश्य से कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में शामिल हैं। आईआईटी रोपड का टीआईएच आईओटी- आधारित उपकरणों और सेंसर पर काम कर रहा है, जिनका उपयोग पूरे भारत में केसर के उत्पादन और आपूर्ति में किया जाएगा। आईआईटी खडगपुर में टीआईएच फाउंडेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित सटीक कृषि तकनीकों के साथ-साथ फसल और मुदा स्वास्थ्य निगरानी के लिए पूर्वानुमान मॉडल पर काम कर रहा है। आईआईटी-बॉम्बे में आईआईएच फाउंडेशन मुख्य रूप से मिट्टी के मापदंडों की निगरानी, डोन इमेजिंग और डोन छिडकाव के लिए हवाई रोबोटिक्स से संबंधित है। कृषि से जुडी महत्वाकांक्षी स्थितियों के आधार पर बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए, एक अनुमानित डेटा विश्लेषण मॉडल विकसित किया जा रहा है। उभरते स्टार्टअप्स ने किसानों या किसानों के समुहों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपने आसपास एक व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए ऐसी तकनीकों में एक मजबूत रुचि दिखाई है। 2016 से, देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढावा देने के लिए. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग निधि (विकास और नवाचार का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय पहल) नामक एक अंब्रेला कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। निधि अपने विभिन्न घटकों के माध्यम से संचालित होती है, जो कि विचारकों और नवप्रवर्तकों को उनकी यात्रा की शुरुआत से समर्थन देने और उन्हें संपूर्ण बाजार मुल्य शुंखला से जोडने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, निधि-प्रयास नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को अवधारणा के चरण से प्रोटोटाइप चरण तक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है: निधि-टीबीआई स्टार्टअप्स को सफल उद्यमों में पोषित करता है: निधि-एसएसपी प्रारंभिक चरण की फंडिंग प्रदान करता है: और निधि-क्रिएट सीओई की एक विश्वस्तरीय सुविधा है, जो स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर जाने में मदद करती है।

निधि 36 कृषि-आधारित टीबीआई का समर्थन और प्रचार करता है, जिनमें से सात आईसीएआर- संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित हैं। भारत सरकार ने पिछले साल एक महत्वाकांक्षी अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 10,000 अटल टिंकरिंग फोर्ब्स, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित करना और अस्ट्र, न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप का समर्थन करना था। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम योग्य स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिसमें कृषि उद्यम शामिल हैं। हैंडहोल्डिंग और इंक्यूबेशन सुविधाएं स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरण में मदद करती हैं। संकल्प और निवेश

वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में नामित किया गया है, जो भारतीय उद्यमियों को वैश्विक बाज़ार में प्रवेश करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। भारत में 500 से अधिक स्टार्टअप पोषक अनाज मूल्य शृंखला में काम कर रहे हैं, जिनमें से 250 स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-रफ्तार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मिलेट्स रिसर्च द्वारा इंक्यूबेट किया गया है। पोषक अनाज (श्री अन्न) की खपत को बढ़ावा देने के लिए, सरकार स्टार्टअप उद्यमियों को व्यंजनों और मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में सहायता कर रही है। 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.25 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए हैं, जबकि 25 स्टार्टअप को अतिरिक्त फंडिंग के लिए मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय बजट 2022-23 में किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी शिक्षा देने और कार्यान्वयन में सहायता के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एग्रीटेक स्टार्टअप्स और कंपनियों की भागीदारी की घोषणा की गई थी। अन्य नीतियों और कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के लिए ड्रोन और खेती के रूप में एक सेवा के रूप में सरकार द्वारा प्रायोजित धन की भी घोषणा की गई। नाबार्ड कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और ग्रामीण कृषि उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए एक सह-निवेश मॉडल के माध्यम से जुटाई गई मिश्रित पूँजी के साथ एक कोष की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह योजना स्टार्टअप्स को वित्त पोषण प्रदान करती है, जो खाद्य उत्पादक संगठनों, कृषि किराये की सेवाओं और प्रौद्योगिकी निगमन का समर्थन करते हैं। सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान बजट (2023-24) में कृषि-केंद्रित त्वरक कोष की घोषणा की। इस कोष का उद्देश्य किसानों के लिए नवोन्मेषी और प्रभावी कृषि-प्रौद्योगिकी समाधान तैयार करना है, ताकि बाजार से संपर्क और उपज तक पहुँच में सुधार किया जा सके। यह कृषि पद्धतियों को बदलने और उत्पादकता और लाभप्रदता को बढावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक भी पेश करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) के अनुसार, एग्रीटेक स्टार्टअप्स ने पिछले चार वर्षों में निजी इक्विटी निवेशकों से लगभग 6600 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं, जो प्रति वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर का संकेत है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने सिफारिश की है कि प्रत्येक अनुसंधान और शिक्षा संगठन कृषि उद्यमी को बढा़वा देने के लिए एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करें। तालमेल कायम करने के उद्देश्य से, एक कृषि-इंक्यूबेटर निगरानी कक्ष स्थापित किया जा सकता है। यह इंक्यूबेटरों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण संसाधनों को साझा करने में भी सहायता करेगा। कृषि-स्टार्टअप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए तैयार हैं।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र				
नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260	
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686	
कोलकाता	8, एसप्लेंडेड ईस्ट	700069	033-22488030	
चेन्नई		600090	044-24917673	
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650	
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383	
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244	
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823	
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455	
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंज़िल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669	

भारत को मिला समावेशी,

एक कृषि-प्रधान राष्ट्र के लिए, खाद्य सुरक्षा की गारंटी के अलावा, कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र हमारे समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास' को अपना मार्गदर्शक दर्शन मानने वाली केन्द्र सरकार के लिए किसानों के समावेशी और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देना सर्वोपरि है। पिछले छह वर्षों में, भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। यह भारत के अन्नदाताओं के लिए दीर्धकालिक विकास सुनिश्चित करते हुए आधुनिक और सतत कृषि प्रणालियों के बीच संतुलन के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय में वृद्धि को अपने प्राथमिक लक्ष्यों में से एक के रूप में निर्धारित किया है। सरकार का लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि करना, उत्पादन की लागत को कम करना तथा उच्च कीमतों को सुनिश्चित कर किसानों को प्रत्यक्ष आय अंतरण द्वारा इसे प्राप्त कराना है।

फसल की पैदावार पर जोर देने के साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

2014 से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) सहित कई पहलों ने सिंचाई में सुधार, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल के नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

PMKSY का एक हिस्सा, 'प्रति बूंद, अधिक फसल' (पर ड्रॉप, मोर क्रॉप) ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने, उत्पादक सामग्री की लागत को कम करने और कृषि स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है।

प्रति बूंद, अधिक फसल

2015-16 में लागू होने के बाद लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर हुई और इसमें लगभग 1,116% की वृद्धि दर्ज की गयी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के फसल बीमा दावों को मंजूरी दी गई है। 2016 में लॉन्च होने के बाद से PMFBY के तहत कवर किए गए छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282% की वृद्धि हुई है।

एक स्वच्छ पर्यावरण की ओर बढ़ने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है जिससे मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ेगी। सतत कृषि की ओर बढ़ने के लिए, दिसंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को 1,600 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ मंजूरी दी।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना



• 2016-17 • 2020-21

कुल आवेदनः 38 करोड़

दावों पर कुल भुगतानः **१,३०,००० करोड़ रुपये*** * अनुमानित मूल्य



इसके अनुरुप, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष (एएएफ) और उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एक आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की भी घोषणा की गई है।



किसानों को सीधे लाख के रास्ते खोले

पिछले नौ वर्षों के दौरान, मोदी सरकार का ध्यान किसानों की संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने से हटकर कृषि उपज के लिए उच्च मूल्य सुनिश्चित करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में वित्तीय सहायता पर केंद्रित रहा है।

किसानों को निवेश पर बेहतर रिटर्न के लिए, मोदी सरकार सभी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में लगातार वृद्धि कर रही है। इसके अलावा, मुख्य उपज गेहूं और चावल की फसलों से इतर अधिक पौष्टिक और मिट्टी के अनुकूल फसलों की खेती में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, सरकार दलहन और तिलहन पर एमएसपी बढ़ा रही है।

मोदी सरकार ने अपने अनेक क़दमों से यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय मोटा अनाज भारत में और वैश्विक स्तर पर स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। पीएम मोदी के दृष्टिकोण और प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के समर्थन के साथ 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' के रूप में घोषित किया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अनाज की खेती में सर्वोत्तम प्रणालियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देगी।

2019-20 के केंद्रीय बजट में, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की घोषणा की, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, जिसमें प्रति वर्ष प्रति भूस्वामी किसान 6,000 रुपये का नकद सहयोग प्रदान किया जाता है। तीन साल की अवधि में, इस योजना ने पूरे भारत में जरूरतमंद किसानों को कुल २ लाख करोड़ रुपये की नकद सहायता प्रदान की है। सस्ती दर पर झंझट मुक्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** योजना किसानों को किसी भी समय कृषि उत्पादों और सेवाओं को ऋण पर खरीदने के लिए सशक्त बनाती है।

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

2014-15 और 2022-23 के बीच गेहूं के एमएसपी में 52%, धान के एमएसपी में 56% की बढ़ोतरी हुई



पीएम-किसान

शुरुआत के बाद से 10 करोड़ से अधिक किसानों को नकद सहायता प्राप्त हुई है।

दिसंबर 2018 से कुल लाभार्थियों में 230% से अधिक की वृद्धि हुई।




दूरदर्शी और सतत कृषि वातावरण

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सहायता ३० दिसंबर २०२२ तक ३.८९ करोड़ किसानों को केसीसी जारी हुए



मौजूदा नीतियों को मजबूत करने के लिए की गई पहलों और उपायों के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में संस्थागत कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022 का कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये था जबकि वास्तविक वितरित कृषि ऋण इस लक्ष्य से 13% अधिक था। सरकार की मंशा 2022-23 के लिए 18.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है।



भारत के लिए एक स्मार्ट और सतत कृषि योजना का विकास

खेती और कृषि गतिविधियों में नए युग की तकनीकों को अपनाने जैसे मानव रहित मशीनरियों आदि के उपयोग को बढ़ावा देकर, खेती की लागत को कम करना और कृषि से आय में वृद्धि करना सरकार का लक्ष्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को कृषि उपयोग के लिए ड्रोन की खरीद के लिए, ड्रोन की लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये की सच्सिडी प्रदान की जा रही है।



उर्वरकों के समानुपातिक उपयोग के माध्यम से कृषि उपज में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, सरकार एक राष्ट्र, एक उर्वरक योजना की दिशा में काम कर रही है ताकि किसानों को भारत ब्रांड के गुणवत्ता वाले उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराये जा सकें। इस उपाय से माल ढुलाई सब्सिडी की राशि का ५% बचाने का अनुमान है।

उर्वरकों की खरीद और ज्ञान के लिए, 12,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) वन-स्टॉप शॉप के रूप में स्थापित किए गए हैं। यह केंद्र मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ कृषि-इनपुट प्रदान करते हैं।

इसके अलावा,किसानों की आय को दोगुना करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम (e-NAM)** जैसी पहल के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार मूल्यों में सहायता कर रही है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी, कर्नाटक में पीएम-किसान योजना की 13वीं किस्त जारी करते हुए।

 देश की कृषि की असली ताकत छोटे किसान हैं जो देश की 80-85
प्रतिशत आबादी के लिए एक या दो एकड़ जमीन पर कड़ी मेहनत करके उपज पैदा करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

बदलती कृषि, बदलता भारत

पिछले नौ वर्षों के दौरान, कृषि में क्रांति लाने के मोदी सरकार के प्रयासों ने कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में, महत्त्वपूर्ण मदद देकर देश के समग्र वृद्धि और विकास में बड़ा योगदान दिया है। 2015-16 से कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र के निर्यात में 53% की वृद्धि देखी गई।

कृषि से संबंधित क्षेत्र की सफलता इस तथ्य से निर्धारित की जा सकती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत ने 2014-15 से दूध उत्पादन में 51% की वृद्धि दर्ज की है। 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान दिया।

दालों और बागवानी उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने और कृषि-प्रसंस्करण, कृषि और खेती को एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप कृषि आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।



2021-22 में 316 मिलियन टन खाद्यान्न और 342 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है

कृषि क्षेत्र में इस उत्साहजनक प्रदर्शन के लिए, मोदी सरकार द्वारा उठाए गए विकासशील कदमों को ही श्रेय दिया जाएगा, जिसमें किसान-उत्पादक संगठनों को सहायता, फसल विविधता को बढ़ावा देना और मशीनीकरण की मदद से कृषि उत्पादन को बढावा देना शामिल है।

मोदी सरकार की किसान-समर्थक और जन समर्थक नीतियों से निर्भरता, लचीलापन और जीविका का एक मजबूत पार्थिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है।। मोदी सरकार के प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण ने भारत में समावेशी और सतत कृषि के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। 🕂

भारत में महिला उद्यमिता : एमएसएमई क्षेत्र

भारत सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि सभी नीतिगत पहलों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने, महिला उद्यमियों का महत्व जानने-पहचानने और देश की प्रगति और समृद्धि में उनकी आर्थिक भागीदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सरकार ऋण, नेटवर्कों, बाज़ारों और प्रशिक्षणों तक महिलाओं को पहुँच दिलाकर उन्हें देश के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रिम भूमिका देने का प्रयास कर रही है। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं में उद्यमिता की भावना जगाकर उनका सशक्तीकरण करके अनेकानेक अवसर उपलब्ध हैं और इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने के वास्ते मूल्यवर्धन, रोज़गार जुटाने, समानता-आधारित आय का वितरण करने और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार। ईमेल : sameera.saurabh@gmail.com

बच्चों की सुरक्षित और बढ़िया देखभाल की व्यवस्था का अभाव होना है। परिवारों के सामाजिक और स्त्री-पुरुष अनुपात में बदलाव के कारण बाल्यावस्था में बढ़िया किस्म की देखरेख सेवाएँ जरूरी हो गई हैं। वर्ष 2016 में मातृत्व लाभ अधिनियम और वर्ष 2017 में उसमें संशोधन पारित होने से 6 महीने से 6 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों को उत्तम क्वालिटी की

समीरा सौरभ


रत के महापंजीयक के अनुसार महिलाओं का कार्य-सहभागिता अनुपात 25 प्रतिशत है जो विश्व के सबसे कम अनुपातों में गिना जाता है। खबरों के मुताबिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और भी कम हो रही है। बार-बार आने वाली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि महिला-भागीदारी में इस कमी का मुख्य कारण नारी शक्ति

uled * Elite Aco



श्रीमती शोभा चंचलानी : अटल इंक्यूबेशन सेंटर में ही पनपकर विकसित हुए एग्रीविजय की सह-संस्थापक और निदेशक हैं और उन्होंने राजस्थान सरकार के लिए लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक समय तक कार्य

किया है। एग्रीविजय किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए देश में अक्षय ऊर्जा की पहली हाट व्यवस्था है जिसमें सौर, बायोगैस, पवन, तापीय और विद्युत ऊर्जा से जुड़े सभी उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध होते हैं जहां ऊर्जा परामर्श दृष्टिकोण से किसानों की ऊर्जा-संबंधी आवश्यकताओं को समझा जाता है और साथ ही उनके यहां उत्पादों की सिफारिश करके उन्हें बेचने तथा जीएचजी/कार्बन डाइऑक्साइड निकासी कम करके



महिलाओं के लिए काम के अवसर जुटाने की सरल भावना से अपनी शुरुआत की थी।

''मैककिन्से द्वारा अध्ययन के अनुसार कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता 10 प्रतिशत बढ़ा देने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2025 तक 770 अरब डॉलर की वृद्धि की जा सकती है।''

इस स्व-सहायता ग्रुप (समूह) ने महिलाओं को प्रशिक्षण,

समर्थन और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम चलाए ताकि महिलाओं को बिना किसी बाधा के आमदनी होती रहे। यह समूह ही आगे चलकर असीम शक्ति बन गया। यह डीपीपी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर में पनप कर बढा और इसका मिशन 2025 तक 10,000 महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और यह सनिश्चित करता है कि हर महिला को उचित आय हो सके ताकि वहाँ काम करने में बराबर रुचि लेती रहे। इस कंपनी का मानना है कि महिलाओं का कार्यबल में शामिल होना सामाजिक गतिशीलता के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि इसके व्यावहारिक और दीर्घावधि वाले आर्थिक प्रभाव भी हैं।

बाल देखभाल सुविधा-सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा सुधार आया है। साथ ही, महिलाओं को कार्यस्थल में समुचित क्रेच सुविधाएं और उनके रखरखाव जैसी ढाँचागत सुविधाएं कम ही उपलब्ध होती हैं और इसी प्रकार के अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी भी बनी रहती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में माना गया कि ऋण तक पहुँच न होना एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष बड़ी चुनौतियों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय वित्त आयोग (आईएफसी) द्वारा 2022 में जारी 'भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले बहुत छोटे उद्यमों के लिए अवसर और सीमाएं' शीर्षक रिपोर्ट में भी ऋण तक पहुँच का अभाव महिला उद्यमियों के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों में से महत्वपूर्ण चुनौती है। इन खामियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार महिला उद्यमियों के



लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है।

एमएसएमई क्षेत्र की महिलाओं में उद्यमिता की भावना जगाकर उन्हें अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध कराता है और मूल्य संवर्द्धन, रोज़गार सृजन, आय के समानता-आधारित वितरण और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करके उनके आर्थिक, सामाजिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 जुलाई, 2020 से 27 जनवरी, 2023 के बीच उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत कुल एमएसएमई में से लगभग 18.67 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले थे। इसी प्रकार 1 जुलाई, 2020 से 27 जनवरी, 2023 के बीच उद्यम पोर्टल पर महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई में इस पोर्टल पर महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई में इस पोर्टल पर पंजीकृत कुल एमएसएमई में सृजित कुल रोज़गारों के 23.59 प्रतिशत रोज़गार सृजित हुए। एमएसएमई मंत्रालय महिला

उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के प्रयास लगातार कर रहा है।



वैश्विक खतरे और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने में मदद मिलती है।

एआई-जेनिक्स की नवीनतम पहल के तहत फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियों और फसल प्रबंधन समाधानों से कृषि उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं और लाखों किसान उच्च गुणवत्ता वाली फसलें लेने और फसलों को कीटनाशकों के विषैले प्रभाव से सुरक्षित रखने तथा उपलब्ध संसाधनों का

अधिकतम उपयोग करके उपज बढ़ाने में सफल हुए हैं। इस उद्यम का उद्देश्य किसानों की विषैले रसायनों पर निर्भरता कम करना है क्योंकि इनसे सांस लेने के लिए जरूरी हवा, पीने का पानी और खेतों की मिट्टी बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। विश्व में खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह उद्यम पर्यावरण और टिकाऊ संसाधनों पर आधारित प्रयास कर रहा है।

(स्रोत : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)

नये सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी देकर समर्थन उपलब्ध कराया जा चुका है जिससे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के नये अवसर जुटाए गए हैं।

- महिला उद्यमियों की सहायता के लिए 1 दिसंबर, 2022 से शुरू की गई सीजीटीएमएसई के अंतर्गत महिला उद्यमियों को ऋण गारंटी शुल्क की सामान्य दरों में 10 प्रतिशत रियायत दी जा रही है और गारंटी कवरेज बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है (यह अन्य मामलों में 75 प्रतिशत है)। वर्ष 2000 में शुरू की गई सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी योजना के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले 13.29 लाख एमएसई खातों के लिए 53,080 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी जा चुकी है।
- खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपने खादी कार्यक्रम के अंतर्गत 3.99 लाख महिला दस्तकारों को

जलवायु परिवर्तन का असर कम से कम रखने के लिए अपने यहां कचरे की उपलब्धता पर ध्यान देने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुरूप आय और बचत करके ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए जाते हैं।

एग्रीविजय 2020 में कोविड-19 के दौर में इस विजन से शुरू किया गया था:

 किसानों को अक्षय ऊर्जा उपलब्ध कराकर अधिक सशक्त बनाना तथा किसानों और ग्रामीण परिवारों

> को अक्षय ऊर्जा से लैस करके उन्हें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना तथा उनकी बचत और आय बढाना।

 स्थायी विकास लक्ष्य प्राप्त करना और जीएचजी/कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम रखने के लिए किसानों ओर ग्रामीण परिवारों को गांव में ही सभी अक्षय ऊर्जा उत्पाद किफायती और सरल तरीके से मुहैया करना।

शहनाज़ शेख : एआई-जेनिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट

लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ हैं और उनकी यह कंपनी एआई-इनेबल (कृत्रिम मेधा पर आधारित) पुरस्कार विजेता सामाजिक उद्यम है जो उन्नत श्रेणी के एआई-एनेबल्ड कीटनाशक प्रबंधन उपकरणों की खोज और

निर्माण के लिए कृषि आदानों के नवाचार विकसित कर रहा है। यह उद्यम फसल संरक्षण और टिकाऊ कृषि कार्य के लिए प्रौद्योगिकी की खोज भी करता है जिससे भुखमरी से

- सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की सरकारी खरीद नीति, 2012 (2018 में संशोधित) के अनुसार यह अनिवार्य है कि कोंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई को अपनी कुल वार्षिक खरीद में से 3 प्रतिशत खरीद महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई उद्यमों में करनी होगी।
- मंत्रालय ने समावेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब शुरू किया है। 2016-17 में इस हब के बनने के बाद से अब तक 12,000 से अधिक इच्छुक/मौजूदा महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय एससी/एसटी अब के विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- मंत्रालय को 2008 में शुरू की गई प्रमुख योजना– प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत कुल 8.37 लाख महिला उद्यमियों में से 2.59 लाख को





धीरे-धीरे बढ़कर 2020-21 में 5,129 और 2021-22 में (2 जनवरी, 2023 तक) 11,232 हो गई थी। इसी प्रकार कुल खरीद के अनुपात में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से हुई खरीद 2019-20 में मात्र 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 0.54 प्रतिशत और 2021-22 में (2 जनवरी, 2023 को) 1.01 प्रतिशत हो गई थी। समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति हब शुरू किया। 2016-17 से शुरू हुई इस योजना के तहत राष्ट्रीय एससी एसटी हब के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 12,000 से अधिक इच्छुक/वर्तमान महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

नये उद्यम लगाना और रोज़गार के अवसर जुटाना

एमएसएमई मंत्रालय कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों और दस्तकारों को सहायता-समर्थन उपलब्ध कराता है। 2008 में शुरू की गई मंत्रालय की प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत कुल 8.37 लाख महिला उद्यमियों में से 2.59 लाख महिला उद्यमियों को नये सूक्ष्म उद्यम लगाने के लिए सब्सिडी देकर ऋण समर्थन उपलब्ध कराया गया जिससे मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार जुटाने में सफलता मिली।

ऋण सुविधा

सूक्ष्म और लघु उद्यमों में ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत चलाये जा रहे महिला उद्यमियों



एमएसएमई मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीडीयू के लिए अपनी वार्षिक सरकारी खरीद में से कम से कम 25 प्रतिशत एमएसएमई में से 3 प्रतिशत खरीद महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्यमों से करने की अनिवार्यता लागू कर दी है।

काम पर रखा है जो देश के कुल 4.97 लाख दस्तकारों का 80 प्रतिशत है। आयोग मधुमक्खी पालन, पॉटरी, चमड़े के सामान, फल और सब्जियों के प्रसंस्करण, बेकरी पाठ्यक्रम, टेलरिंग और एंब्रॉयडरी (सिलाई-कढ़ाई), साबुन और डिटर्जेंट बनाने, ब्यूटीशियन कोर्स वगैरह में भी देशभर में महिलाओं को कौशल सिखा रहा है। विगत पॉंच वर्षों में और चालू वर्ष में (2017-18 से 31 दिसम्बर 2022 तक) इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 1.81 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

 तटवर्ती राज्यों में कॉयर बोर्ड अपनी विभिन्न परियोजनाओं के जरिए महिला कामगारों को बढि़या किस्म के कॉयर

उत्पाद तैयार करके रोज़गार के अवसर जुटाने का प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। विगत पांच वर्षों में इन कार्यक्रमों के तहत 21,654 महिलाओं को कुशल बनाया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न पहलों के जरिए महिला सशक्तीकरण को बढा़वा देने के प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं।

सार्वजनिक खरीद : सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सरकारी खरीद नीति-2012 (2018 में संशोधित) के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/ सीपीएसई को अपनी कुल वार्षिक खरीद में से 3 प्रतिशत खरीद अनिवार्य रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई उद्यमों से करनी होगी। इस नीति का लाभ पाने वाली महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई की संख्या जहां 2019-20 में 3,666 थी वहीं यह की सहायता करने के उद्देश्य से सीजीटीएमएसई योजना के तहत 1 दिसंबर, 2022 से गारंटी शुल्क की सामान्य दरों में 10 प्रतिशत रियायत दी जा रही है और गारंटी कवरेज 85 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि अन्य मामलों में यह 75 प्रतिशत है। वर्ष 2000 में शुरू की गई सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले 13.29 लाख एमएसएम खातों के लिए अब तक 53,080 करोड़ रुपये की गारंटी दी जा चुकी है।


दस्तकार आधारित समूह का विकास : परंपरागत उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए कोष जुटाने की योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत परम्परागत क्षेत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग (निर्माण) समूह बनाकर दस्तकारों को रोज़गार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। 2014 में फिर से शुरू की गई इस योजना के तहत हस्तकला, हथकरघा, कॉयर, कृषि प्रसंस्करण जैसे परंपरागत क्षेत्रों को कवर करके कुल 2.97 लाख दस्तकारों में से करीब 1.49 लाख महिला दस्तकारों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। अभी तक अनुमोदित 498 समूहों में से 86 समूहों में 100 प्रतिशत दस्तकार महिलाएं ही हैं!

कॉयर उद्योग कार्यक्रम : तटवर्ती राज्यों में कॉयर बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला कामगारों को बढ़िया किस्म के कॉयर उत्पाद तैयार करके रोज़गार के अवसर जुटाने का प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। विगत पांच वर्ष में इन कार्यक्रमों के तहत 21,654 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर बनाया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/ सीपीएसई के लिए अपनी वार्षिक सरकारी खरीद में से कम से कम 25 प्रतिशत एमएसएमई में से 3 प्रतिशत खरीद महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्यमों से करने की अनिवार्यता लागू कर दी है। सरकार ने महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित सभी एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए कई अन्य योजनाएं लागू की हैं जिनमें सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और टेक्नोलॉजी केंद्र, परंपरागत उद्योग पुनरुत्थान कोष योजना (स्फूर्ति), खरीद और हाट समर्थन योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) इत्यादि शामिल हैं।

इन सबके अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं भी महिलाओं को उनके उद्यमों में सहयोग-सहायता उपलब्ध कराती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से भी भावी/वर्तमान महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।





Competitive Exams

जो आप के लिए सबसे उपयुक्त है उसे ही चुनें



भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का देश के आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2023 और उसके बाद, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा अमृतकाल भी कहा जाता है, भारतीय एमएसएमई को कई अवसर मिलने की संभावना है। एक सबसे बड़ा अवसर, व्यवसायों के डिजिटल परिवर्तन में निहित है। महामारी के बाद से डिजिटल तकनीकों को अपनाने में तेज़ी आई है, और एमएसएमई नये ग्राहकों तथा बाज़ारों तक पहुँचने के लिए इस प्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं।

'एसएमई स्ट्रीट' के संस्थापक और एसएमई स्ट्रीट फाउंडेशन के महासचिव। ईमेल: faiz@smestreet.in

और सेवाओं के निर्यात में सहायता करने और उन्हें डिजिटल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी पहल जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) और आत्मनिर्भर भारत अभियान, एमएसएमई को सामान और सेवाएँ प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करते हैं ताकि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का सहयोग किया जा सके। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के प्रमुख विकास क्षेत्र बनने की उम्मीद है, और एमएसएमई इन क्षेत्रों

मृतकाल या कोविड-19 के बाद के युग से भारत में एमएसएमई के लिए नये अवसर आने की उम्मीद है। आर्थिक बहाली और विकास पर सरकार के ध्यान के साथ, एमएसएमई से, विकास को आगे बढ़ाने और रोज़गार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा है। इसके अलावा, एमएसएमई नये बाज़ारों की खोज, डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और स्वास्थ्य देखभाल तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करके अमृतकाल का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने एमएसएमई के उत्पादों

डाँ फैज अस्कारी



में अवसरों का पता लगा सकते हैं। कुल मिलाकर, अमृतकाल भारत में एमएसएमई के लिए अपने व्यवसायों को विकसित करने और विस्तारित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान मिलता है। अमुतकाल में संभावना और क्षमता

उम्मीद है कि भारतीय एमएसएमई विकास को गति देकर और रोज़गार के अवसर पैदा करके अमृतकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत के अमृतकाल में एमएसएमई के लिए कुछ प्रमुख अवसर हैं:

- डिजिटल परिवर्तनः कोविड-19 महामारी के बाद उद्योगों में डिजिटल तकनीकों को अपनाने में तेज़ी आई है, और भारत में एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इस बदलाव को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही, एमएसएमई अपने कामकाज में सुधार करने, नये ग्राहकों तक पहुँचने और नये बाज़ारों का पता लगाने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठा सकते हैं।
- 2. निर्यात के अवसर: भारत सरकार ने अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में एमएसएमई की सहायता के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) स्कीम और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। एमएसएमई नये बाज़ारों का पता लगाने और अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- 3. बुनियादी ढाँचा विकासः भारत सरकार ने देश में बुनियादी ढाँचा विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी कई पहल की घोषणा की है। बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की सहायता करने के लिए एमएसएमई सामान और सेवाएँ प्रदान करके इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- 4. स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र: कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के महत्व को उजागर किया है, और भारत में एमएसएमई, स्वास्थ्य सेवा उद्योग की सहायता के लिए सामान और सेवाएँ प्रदान करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। एमएसएमई चिकित्सा उपकरण गें, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और स्वास्थ्य देखभाल आईटी समाधान जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगा सकते हैं।
- 5. हरित ऊर्जा: अक्षय ऊर्जा उद्योग को सहायता देने के लिए सामान और सेवाएँ प्रदान करके एमएसएमई इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एमएसएमई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण समाधान जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाश सकते हैं।

एक और सम्मोहक अवसर, टिकाऊ उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग है। पर्यावरणीय स्थिरता पर बढ़ते ध्यान के साथ, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले एमएसएमई तेज़ी से बढ़ते बाज़ार में जगह बना सकते हैं। इसी तरह, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए अवसर प्रदान करते हुए भारत के तेज़ी से बढ़ते मध्य वर्ग की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भरता' के लिए सरकार का जोर, विनिर्माण और संबंधित क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। स्थानीय सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर बढ़ रहा है, जो आने वाले वर्षों में भारतीय एमएसएमई को बहुत जरूरी बढ़ावा दे सकता है।

सरकार ने एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में सहायता करने और उन्हें डिजिटल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी पहल जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) और आत्मनिर्भर भारत अभियान, एमएसएमई को सामान और सेवाएँ प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करते हैं ताकि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का सहयोग किया जा सके। अंत में, एमएसएमई बैंकों, उद्यम पूँजीपतियों और सरकारी योजनाओं जैसे विभिन्न स्रोतों से धन और सहायता की बढ़ती उपलब्धता से लाभान्वित हो सकते हैं। पूँजी और संसाधनों तक बेहतर पहुँच के साथ, एमएसएमई नवोन्मेष और विकास में निवेश कर सकते हैं, इस प्रकार उनकी पहुँच और प्रभाव का विस्तार हो सकता है।

भारतीय एमएसएमई के पास 2023 और उसके बाद के अमृतकाल में कई अवसर हैं जिनमें डिजिटल परिवर्तन, टिकाऊ उत्पाद तथा सेवाएँ, मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं, 'मेक इन इंडिया' और वित्तपोषण तथा सहायता के लिए अधिक पहुँच शामिल हैं। जो एमएसएमई इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, उनके आने वाले वर्षों में फलने-फूलने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका

एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा एमएसएमई का है और यह लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है।

इसके अलावा, एमएसएमई रोज़गार के अवसर प्रदान करके और उद्योगों के विकेंद्रीकरण में मदद करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी योगदान करते हैं। वे नौकरियां पैदा करके और गरीबी को कम करके देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एमएसएमई अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक हैं। यह क्षेत्र व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करता है। अपनी दक्षता और अनुकूलता के लिए जाने जाने वाले एमएसएमई इस प्रकार बदलते बाज़ार की गतिशीलता और उपभोक्ता की जरूरतों को परा कर सकते हैं।

इसके अलावा, एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने और देश के भुगतान संतुलन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक है और अन्य देशों के साथ देश के व्यापार संबंधों को बढावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार ने भी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को पहचाना है और इसकी वृद्धि तथा विकास में सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें वित्त पोषण,



प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और बाज़ार पहुँच की योजनाएं शामिल हैं।

अंत में, एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार सृजन, नवाचार और निर्यात में योगदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक हैं। इस क्षेत्र के निरंतर विकास और वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का समर्थन महत्वपूर्ण है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार की पहल

भारत सरकार देश के आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए लंबे समय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत सरकार महत्वपूर्ण वित्त पोषण सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, बाज़ार पहुँच और नियामक सहायता प्रदान करके एमएसएमई के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये सभी पहल एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं, जो देश की आर्थिक वृद्धि और रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

 वित्त पोषण सहायताः सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता और फॉडिंग सहयोग प्रदान करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)



अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रौद्योगिकी समावेश और उन्नयन

#startupindia



और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) शामिल हैं।

- 2. प्रौद्योगिकी उन्नयनः सरकार ने एमएसएमई को अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और आधुनिक तथा कुशल उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करने के लिए कई पहल की हैं। ऐसी ही एक पहल है प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस), जो एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 3. कौशल विकासः सरकार ने एमएसएमई कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं और कई पहल की हैं। इनमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और स्किल इंडिया मिशन शामिल हैं जिनका उद्देश्य एमएसएमई कार्यबल को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है।
- 4. बाज़ार तक पहुँचः सरकार ने एमएसएमई को बाज़ारों तक पहुँचने और उनके उत्पादों तथा सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें शामिल हैं-राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), जो विपणन के साथ एमएसएमई की सहायता करता है, और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, जो सरकारी खरीद में एमएसई के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है।
- 5. नियामक सहायताः सरकार ने एमएसएमई के लिए नियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें उद्योग आधार पंजीकरण प्रक्रिया शामिल है. जो एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल

बनाती है, और एमएसएमई सुविधा परिषद, जो एमएसएमई को विनियामक अनुपालन से संबंधित उनकी शिकायतों को हल करने के लिए मंच प्रदान करती है।

सरकार की प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): यह ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में स्टार्टअप और नये उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढा़वा देना है।
- 2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास (सीजीटीएमएसई): यह योजना एमएसएमई को एक निश्चित सीमा तक जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एमएसएमई को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे ऋण तक उनकी पहुँच बढ़ सके।
- 3. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी): इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाज़ार पहुँच के लिए सहायता प्रदान करके एमएसएमई समूहों के विकास को बढावा देना है।
- 4. प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस): यह योजना कपड़ा और जूट क्षेत्रों में एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 5. डिजिटल एमएसएमई योजनाः इस योजना का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढाँचे, क्षमता निर्माण और डिजिटल मार्केटिंग के विकास के लिए सहायता प्रदान करके एमएसएमई द्वारा डिजिटल तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है।
- 6. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी): इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन, विपणन सहायता और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करके एमएसएमई सहित विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाना है।
- 7. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी): इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई कार्यबल को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनकी रोज़गार क्षमता और उत्पादकता को बढा़या जा सके।
- 8. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति: यह नीति सरकार की खरीद में एमएसएमई के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करती है, जिससे

उन्हें एक बड़े बाज़ार तक पहुँच मिलती है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

एमएसएमई और रक्षा विनिर्माण

भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अपने व्यवसायों को विकसित करने और विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान कोंद्रित कर रही है, और रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई की भागीदारी को बढा़वा देने के लिए कई पहल की हैं।

रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई के लिए कुछ अवसरों में शामिल हैं:

- ऑफ़सेट नीति: ऑफ़सेट नीति के तहत, भारत में रक्षा अनुबंध जीतने वाली विदेशी फर्मों को भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अनुबंध मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत निवेश करना होगा। यह एमएसएमई के लिए विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करने और रक्षा निर्माण में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण अवसर खोलता है।
- 2. रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी): डीपीपी रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई की भागीदारी को खरीद में वरीयता प्रदान करके, एमएसएमई के लिए उत्पादों की कुछ श्रेणियों को अलग करके और निविदाओं में भागीदारी के लिए पात्रता मानदंड में छूट देकर प्रोत्साहित करती है।
- 3. रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स): आईडीईएक्स पहल एमएसएमई और रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को वित्त पोषण सहायता, सलाह और ऊष्मायन सुविधाएं प्रदान करके रक्षा निर्माण में नवाचार और स्वदेशीकरण को बढावा देती है।



- 4. रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (डीआईसी): डीआईसी रक्षा उत्पादन विभाग के तहत एक समर्पित प्रकोष्ठ है जो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश में रुचि रखने वाले एमएसएमई की सहायता और सहयोग प्रदान करता है।
- 5. रक्षा औद्योगिक गलियारे (डीआईसी): भारत सरकार ने डीआईसी के रूप में देशभर में छह क्षेत्रों की पहचान की है, जिनका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण समूहों के विकास को बढ़ावा देना है। एमएसएमई अवसंरचना, टेक्नोलॉजी और मार्केट लिंकेज तक पहुँचने के लिए इन क्लस्टर्स का लाभ उठा सकते हैं।

भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र एमएसएमई को अपने व्यवसायों के विकास तथा विस्तार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। भारत सरकार ने रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई को भागीदारी को बढा़वा देने के लिए कई पहल की हैं, और एमएसएमई फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप तथा मार्केट लिंकेज तक पहुँचने के लिए इन पहलों का लाभ उठा सकते हैं। एमएसएमई विदेशी कंपनियों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं और ऑफ़सेट नीति के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में भाग ले सकते हैं।

भारतीय एमएसएमई के लिए एफडीआई लाभ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कई लाभ प्रदान कर सकता है, जिनमें शामिल हैं:

- पूँजी तक पहुँचः एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) भारतीय एमएसएमई को विदेशी निवेशकों से पूँजी तक पहुँच प्रदान कर सकता है, जिसका उपयोग उनकी वृद्धि और विस्तार योजनाओं को निधि देने के लिए किया जा सकता है। यह एमएसएमई को घरेलू बाजार में ऋण तक सीमित पहुँच और उच्च ब्याज दरों की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है।
- 2. प्रौद्योगिकी हस्तांतरणः एफडीआई भारतीय एमएसएमई को विदेशी प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं तक पहुँच भी प्रदान कर सकता है, जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। इससे भारतीय एमएसएमई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिल सकती है।
- 3. बाज़ार पहुँचः एफडीआई भारतीय एमएसएमई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नये बाज़ारों और ग्राहकों तक पहुँच प्रदान कर सकता है। यह भारतीय एमएसएमई को अपना ग्राहक आधार और राजस्व बढ़ाने में सहायता कर सकता है।
- प्रबंधन विशेषज्ञताः एफडीआई, विदेशी प्रबंधन विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं में भी लाई जा सकती है, जो



भारतीय एमएसएमई को अपने संचालन और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने में मदद कर सकता है। इससे भारतीय एमएसएमई को अधिक कुशल और उत्पादक बनने में मदद मिल सकती है।

- 5. ब्रॉंड निर्माण: एफडीआई प्रसिद्ध विदेशी ब्रॉंडों के साथ जुड़कर भारतीय एमएसएमई को अपनी ब्रॉंड छवि और प्रतिष्ठा बनाने में भी मदद कर सकता है। इससे भारतीय एमएसएमई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी दूश्यता और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- 6. रोज़गार सृजनः एफडीआई भारतीय एमएसएमई को उनकी वृद्धि और विस्तार योजनाओं में सहायता करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के नये अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है। इससे देश की बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है।

एफडीआई भारतीय एमएसएमई को पूँजी तक पहुँच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाज़ार पहुँच, प्रबंधन विशेषज्ञता, ब्राँड निर्माण और रोज़गार सृजन सहित कई लाभ प्रदान कर रहा है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एफडीआई को विनियमित किया जाए और निगरानी की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका घरेलू उद्योग और अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

वैकल्पिक वित्त अवसर

एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली सबसे आम चुनौतियों में से, पारंपरिक स्रोतों से वित्त तक पहुँच को सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना जाता है। हालांकि, भारतीय

एमएसएमई के लिए कई वैकल्पिक वित्तीय अवसर उपलब्ध हैं। इन वैकल्पिक वित्तीय अवसरों को सरकारी एजेंसियों से और स्वयं एमएसएमई क्षेत्र से अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। इन वैकल्पिक वित्त में शामिल हैं:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी): एनबीएफसी एमएसएमई को ऋण, लाइन ऑफ़ क्रेडिट और फैक्टरिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं। एनबीएफसी के पास बैंकों की तुलना में अधिक लचीले उधार मानदंड हैं और वे अधिक तेज़ी से ऋण दे सकते हैं।
- 2. पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेंडिंगः पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म एमएसएमई कर्जदारों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे व्यक्तिगत कर्जदाताओं से जोड़ता है। पी2पी ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म पारंपरिक वित्तपोषण स्रोतों की तुलना में कम ब्याज दरों और अधिक लचीली ऋण शर्तों की वी पेशकश कर सकते हैं।
- 3. व्यापार ऋणः व्यापार ऋण वित्त पोषण का एक रूप है जहां आपूर्तिकर्ता क्रेडिट पर एमएसएमई को वस्तुएं या सेवाएँ प्रदान करते हैं। यह एमएसएमई को अपने नकदी प्रवाह और कार्यशील पूँजी प्रबंधन के बेहतर प्रबंधन में सहायता कर सकता है।
- 4. एंजेल निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट: एंजेल निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट एमएसएमई को कंपनी में इक्विटी के बदले फंडिंग प्रदान करते हैं। वे एमएसएमई को कार्यनीतिक सलाह और परामर्श भी प्रदान कर सकते हैं ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को विकसित और विस्तारित करने में मदद मिल सके।
- 5. क्राउडफंडिंग: क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म एमएसएमई को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में व्यक्तिगत निवेशकों से धन जुटाने में सक्षम बनाता है। इससे एमएसएमई को जल्दी और कुशलता से पूँजी जुटाने में मदद मिल सकती है।
- 6. सरकारी योजनाएं: भारत सरकार ने एमएसएमई को उधार देने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास (सीजीटीएमएसई) जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं।

अंत में, भारतीय एमएसएमई के लिए कई वैकल्पिक वित्त अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें एनबीएफसी, पी2पी लेंडिंग, ट्रेड क्रेडिट, एंजेल निवेशक तथा वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउडफंडिंग और सरकारी योजनाएं शामिल हैं। एमएसएमई को वित्त तक पहुँच बनाने और अपनी वृद्धि तथा विस्तार योजनाओं के लिए वित पोक्रम के वास्ते इन विकल्पों का पता लगाना चाहिए। अ

Elite

היין אופט ארך רנסי וואפט

स्टार्टअप्स अंतिम पड़ाव तक पहुँचते हुए

स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य भारतीय युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जगाना और उनमें नवाचारों के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसे जनवरी, 2016 में स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह पहल भारत की सरकारी नीति में अपनाया गया ढाँचागत विकास है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और देश के उपेक्षित और वंचित समुदायों को लाभ पहुँचाने की भरपूर क्षमता है।

असम विश्वविद्यालय, सिलचर में अध्यापक। ईमेल: rb.juyal27@gmail.com

रेबांत जुयाल

द्यमिता और नवाचार आर्थिक प्रगति और विकास के आवश्यक तत्व हैं। कई अन्य देशों की भांति भारत ने भी उद्यमशीलता और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के महत्व को पहचाना और समझा है तथा इस दिशा में अनेक पहल भी की हैं। वर्ष 2016 में शुरू किया गया स्टार्टअप कार्यक्रम भी ऐसी ही एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा देश के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस पहल के अंतर्गत देश में स्टार्टअप्स की वृद्धि के लिए अनुकूल परिवेश विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है और इसके तहत ही फंड (आर्थिक सहायता), कर-लाभ और अन्य प्रोत्साहन देना शामिल हैं। इस पहल का मूल उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है जिसमें शुरुआती दौर में सलाह, प्रशिक्षण, सीड फॉडिंग और उत्प्रेरक सुविधाएं मुहैया की जाती हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तीन मुख्य अंग हैं : सरलीकरण और सहयोग (हैंडहोल्डिंग); फंडिंग या आर्थिक समर्थन और प्रोत्साहन तथा उद्योग और शोध संस्थानों की भागीदारी; और प्रारंभिक सलाह-प्रशिक्षण। सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग (खड़ा होने में सहयोग) वाले घटकों के तहत सरकार ने व्यापार या कारोबार जल्दी और कम लागत से शुरू करने की व्यवस्था बनाकर स्टार्टअप शुरू करने और उन्हें चलाने की प्रक्रिया एकदम आसान बना दी है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी चालू किया है जो कारोबार शुरू करने और उसे चलाने के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। फंडिंग समर्थन और प्रोत्साहन तत्वों से स्टार्टअप्स को कर-लाभ, पेटेंट पंजीकरण और आर्थिक साधन जुटाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्राप्त कराए जाते हैं। उद्योग-अकदेमिया भागीदारी और प्रारंभिक सारसंभाल और समर्थन-सहयोग के अंतर्गत देशभर में इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स का नेटवर्क विकसित करने पर खास ध्यान दिया जाता है जिनसे स्टार्टअप्स को मेंटरिंग (सलाह), नेटवर्किंग और फंडिंग समर्थन मिल जाता है।

देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

स्टार्टअप इंडिया का भारत की अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से रोज़गार जुटाने तथा आर्थिक प्रगति की दृष्टि से बहुत अहम प्रभाव पड़ा है। सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ (नैसकॉम) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में 2025 तक 5 लाख से ज्यादा नये रोज़गार जुटाए जा सकेंगे। इस पहल ने विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित किया है और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए कुल फंडिंग जहां 2014 में 3.9 अरब डॉलर थी वहीं 2019 में यह बढ़कर 14.5 अरब डॉलर हो गई है। इस पहल से भारत में नवाचारों और उद्यमशीलता के विकास को भी प्रोत्साहन मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के क्षेत्र में भारत जहां 2015 में 81वें स्थान पर था वहीं 2021 में वह 48वें स्थान पर पहुँच गया। इस पहल से प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के विकास को बढा़वा मिला है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

स्टार्टअप इंडिया पहल के महत्वपूर्ण प्रभाव के बावजूद इसे अनेक चुनौतियों और बाधाओं से जूझना पड़ रहा है। स्टार्टअप्स के सामने एक बड़ी चुनौती फंडिंग तक पहुँच का अभाव है और वह भी खासकर शुरुआती दौर में। हालांकि सरकार ने फंडिंग (आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने) की कई योजनाएं लागू की हैं पर उन तक पहुँच अभी तक कठिन ही है। एक अन्य चुनौती है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में कुशल जनशक्ति का अभाव। अनेक स्टार्टअप अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभवी कुशल कर्मियों की कमी की समस्या झेल रहे हैं। स्टार्टअप पहल में एक कमी यह भी है कि मुख्य जोर टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप्स पर ही दिया जाता है। यह तो सही है कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने काफी फंडिंग और ध्यान आकर्षित किया है लेकिन स्वास्थ्य-देखरेख, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी सफलताएं मिली हैं हालांकि इन क्षेत्रों में अभी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने में सफल रही है। नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। देश में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स चल रहे हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप रोज़गार के 4.2 लाख से ज्यादा नये अवसर पैदा हुए हैं और भारतीय स्टार्टअप्स ने बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित किया है। भारत के स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र में युवा और गतिशील कर्मी विशेष रुचि लेकर शामिल हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी तथा डिजिटलीकरण पर खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत की विशाल जनसंख्या और लगातार

#startupindia

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS), INR 945 Cr के परिव्यय के साथ, अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

n &

"

भारत के स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र में युवा और गतिशील कर्मी विशेष रुचि लेकर शामिल हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी तथा डिजिटलीकरण पर खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत की विशाल जनसंख्या और लगातार बढ़ता मध्यम वर्ग स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराते हैं और टेक्नोलॉजी तथा डिजिटलीकरण से फिनटेक, ई-कॉमर्स और स्वास्थ्य देखरेख जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अटल नवाचार मिशन और स्मार्ट शहर मिशन जैसी पहलों के माध्यम से सरकार नवाचार प्रोत्साहन पर बल दे रही है जिससे स्टार्टअप्स के लिए अधिक अवसर बढ़ रहे हैं।

बढ़ता मध्यम वर्ग स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराते हैं और टेक्नोलॉजी तथा डिजिटलीकरण से फिनटेक, ई-कॉमर्स और स्वास्थ्य देखरेख जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अटल नवाचार मिशन और स्मार्ट शहर मिशन जैसी पहलों के माध्यम से सरकार नवाचार प्रोत्साहन पर बल दे रही है जिससे स्टार्टअप्स के लिए अधिक अवसर बढ रहे हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य स्टार्टअप्स को फॉडिंग, परामर्श सेवा सुविधाओं और अन्य समर्थन सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराके देश में स्टार्टअप्स की प्रगति के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इस पहल के तहत स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ़ फंड्स, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना और अटल नवाचार मिशन के माध्यम से फंडिंग तक स्टार्टअप्स के लिए पहुँच उपलब्ध कराई जाती है। इस पहल के अंतर्गत कर देने से मुक्ति तथा कर छूट जैसी सुविधाएं भी प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती हैं।

इस पहल को कई क़ानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारत में स्टार्टअप्स नियामक व्यवस्था बेहद जटिल है जिससे नियमों का पालन करना काफी कठिन रहता है। स्टार्टअप की परिभाषा भी ठीक से स्पष्ट नहीं है और यही वजह है कि नियामक व्यवस्था भ्रामक बनी हुई है। फिर, स्टार्टअप्स के नवाचारों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बौद्धिक संपदा अधिकार

के क़ानूनी प्रारूप को अधिक मज़बूत बनाने की जरूरत है। अमरीका, जापान और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में कई समानताएं हैं तो कई अंतर भी हैं। अमरीका का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सुव्यवस्थित और परिपक्व है तथा इसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहाँ वेंचर (उद्यम) पूँजी कोष और एंजेल निवेशकों के बहुत व्यापक संसाधन हैं जिनसे स्टार्टअप्स को फंड आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी ओर, जापान में अधिक परंपरागत व्यापार परिवेश है जिसमें बड़े निगमों या बड़ी कंपनियों पर ध्यान दिया जाता है। फिर भी, वहाँ हाल के वर्षों में उद्यमिता और नवाचार संवर्द्धन की दृष्टि से कई उपाय किए गए हैं, जैसे–जापान रिवाइटेलाइजेशन नीति और जापान नवाचार नेटवर्क, ताकि स्टार्टअप्स के शुरुआती दौर में उनकी सारसंभाल पर परा ध्यान दिया जा सके।

अमरीका और जापान की तुलना में भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत बाल्यावस्था में ही है और अभी पनप ही रहा है। तो भी हाल के वर्षों में स्टार्टअप इंडिया पहल और उद्यमिता तथा नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य कई पहलें करके भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा और लगातार बढ़ता बाज़ार उपलब्ध है।

स्टार्टअप इंडिया पहल से उद्यमियों और उपेक्षित या वंचित समुदायों के उद्यमियों को अनेक प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हो सके हैं। इससे देश के वंचित समुदाय के विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ा है! इस पहल से उपेक्षित समुदायों को देश के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने का अवसर मिला और रोज़गार के अवसर सृजित करने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि स्टैंड-अप इंडिया योजना महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को नये उद्यम शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम दिव्यांगों को अपने कारोबार

अमरीका और जापान की तुलना में भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत बाल्यावस्था में ही है और अभी पनप ही रहा है। तो भी हाल के वर्षों में स्टार्टअप इंडिया पहल और उद्यमिता तथा नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य कई पहल करके

6.6

भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा और लगानारण बढता बाजार उपलब्ध है।

Elite

* ipj jnd

8

शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इन योजनाओं से उपेक्षित समुदायों को अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है।

इस पहल से कृषि. स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा जैसे उन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है जिनके माध्यम से उपेक्षित समुदायों को लाभ पहुँचाने की बड़ी संभावना है। कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप छोटे और बेहद छोटे किसानों को बाजार में पहुँच और टेक्नोलॉजी समर्थन उपलब्ध करा सकते हैं जबकि स्वास्थ्य-देखरेख क्षेत्र के स्टार्टअप वंचित समुदायों को कम लागत वाली स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ मुहैया करा सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप उपेक्षित समुदायों के बच्चों को बढिया शिक्षा दिलाने में अहम सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही, इस पहल से महिलाओं को सशक्त बनाने और वंचित समुदायों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने का मंच भी उपलब्ध हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की अगुआई वाले स्टार्टअप्स की संख्या इस पहल के शुरू होने के बाद से 50 प्रतिशत बढ़ गई है। इसी तरह इस पहल से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिली है जो संसाधनों तक पहुँच के अभाव के कारण भेदभाव की वजह से बाहर ही छुट गए थे।

फिर, इस पहल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है और आर्थिक प्रगति में योगदान किया है। नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से 12 से 15 लाख सीधे रोज़गार जुटाना संभव हो जाएगा। ई-कॉमर्स, फिनटेक और हेल्थ-टेक जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ने से काफी मात्रा में विदेशी निवेश आया जिससे देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति और वृद्धि में बडा योगदान मिला।

इन प्रयासों के बावजूद भारत के उपेक्षित और वॉचित समुदायों के विकास में स्टार्टअप इंडिया का प्रभाव सीमित रहा है। भारत के अधिकतर स्टार्टअप शहरी इलाकों में हैं और उनके कर्ताधर्ता संपन्न पृष्ठभूमि वाले लोग ही हैं। ऑक्सफ़ैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के सिर्फ 17 प्रतिशत स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं ने शुरू किया और 1 प्रतिशत से भी कम ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्हें दिव्यांगजन चला रहे हैं। इसी तरह स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप ज्यादातर शहरी इलाकों पर केंद्रित हैं और संपन्न लोगों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं। फिर, इस पहल में देश के वंचित-अपेक्षित समुदायों के सामने आने वाली ढाँचागत चुनौतियों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता जिनमें सामाजिक भेदभाव शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुँच का अभाव और आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुँच असी, चुनौतियां खास हैं। इन चुनौतियों के कारण ही वंचित समुक्ती के लोगों की उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदारी



करने की क्षमता और योग्यता भी सीमित रह जाती है और वे इस पहल का समुचित लाभ नहीं ले पाते। निष्कर्ष

स्टार्टअप इंडिया पहल देश में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहन देने में सफल रही है। इस पहल ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग तक पहुँच, परामर्श और दिशानिर्देश तथा अन्य समर्थन सेवाएँ उपलब्ध कराकर उनकी बढोतरी और प्रगति के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। परन्त इस पहल को जटिल नियामक व्यवस्था और स्टार्टअप की स्पष्ट परिभाषा के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, इस पहल ने कृषि, स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ऐसे स्टार्टअप्स की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया है जिनमें उपेक्षित-वंचित समदायों को लाभ पहुँचाने की संभावना है। फिर भी भारत के उपेक्षित-वंचित समुदायों के विकास पर इस पहल का प्रभाव सीमित या बाधित हो गया है। अधिकतर स्टार्टअप शहरी इलाकों में केंद्रित हैं और उनकी अगुवाई संपन्न पृष्ठभूमि वाले लोग ही कर रहे हैं। साथ ही, इस पहल में देश के वंचित समुदायों के सामने आ रही ढाँचागत चुनौतियों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए भारत के उपेक्षित समुदायों में उद्यमिता की भावना जगाने के लिए व्यापक और सटीक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इस प्रयास से ढाँचागत चुनौतियों पर खास ध्यान देकर वंचित समुदायों में स्टार्टअप्स को बढा़वा देने के वास्ते समचित समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा।

अमरीका, जापान और भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक संभावनाएं हैं और कई अंतर भी हैं। अमरीका का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व और सुव्यवस्थित है। जापान में व्यापार परिवेश पंरपरागत सा ही है पर वहाँ उद्यमिता और नवाचारों को प्रोत्साहन देने की पहलें की जा रही हैं। इधर, भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अभी शुरुआती दौर में ही है परंतु हाल के वर्षों में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू करके देश ने महती सफलता प्राप्त की है। इस पहल से स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, मैंटरशिप (परामर्श) और अन्य समर्थन सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं जिससे उद्यमिता और नवाचार की दृष्टि से अनुकूल परिवेश विकसित हुआ है।

संदर्भ

- गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया (2016). स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लानhttps://www.startupindia.gov.in/content/dam/investindia/ startupindia/pdfs/Startup_India_Action_Plan.pdf से लिया गया।
- ऑक्सफैम इंडिया, (2018). माइंड द गैप. द स्टेट ऑफ़ एंप्लायमेंट इन इंडिया- https://www.oxfamindia-org/sites/default/ files/2018-03/Mind-The-Gap.pdf से लिया गया।
- नेशनल हैंडिकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. (एन.डी.). अबाउट अस. https://www.nbfdc.nic.in/about-us से लिया गया।
- स्टैंड-अप इंडिया (एन.डी.). अबाउट अस. https://www. standupmitra.in/about-us. से लिया गया।
- सिंह, एच. (2018). एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया : चैलेंजेज़ एंड अपार्च्यूनिटीज़। जर्नल ऑफ़ इनोवेशन इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट, 27(1), 41-54, डीओआई : 10.3917/जेआईई. पीआर 1.0027 ।
- गुप्ता, आर. (2020). स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया : स्टेटस, चैलेंजेज़ एंड वे फॉरवर्ड. जर्नल ऑफ़ इनोवेशन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, 35(1), 11-25. डीओआई : 10.3917/जेआइई. पीआर 1.00351
- गर्वनमेंट ऑफ़ इंडिया (2016)। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र इन इंडिया: एक्शन प्लान. https://www.startupindia-gov.in/content/ site/en/action_plan.html.
- ऑक्सफैम इंडिया (2019)। इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2018: Widening Gaps. https://www.oxfamindia-org/sites/default/ files/201908/Oxfem-Inequality-Report.2018.pdf से लिया गया।
- चैटर्जी, ए. (2018). स्टार्ट-अप इंडिया : ए कांप्रिहेंसिव एनेलिसिस. जर्नल ऑफ बिजनेस मैनैजमेंट एंड सोशल रिसर्च. 7(3), 1-8 ।
- द इकोनॉमिक टाइम्स. (2021). स्टैंडअप इंडिया स्कीम : इंलिजिबिलिटी, बेनेफिट्स, इंटरेस्ट रेट, एंड हाऊ टू एप्लाई। https:// economictimes.indiatimes. com/small-biz/sme-sector/standup-india-scheme/articleshow/ 78416343.cms से लिया गया।
- मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एमपॉवरमेंट. (2021). नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. https:// nhfdc.nic.in/ frmSchemeDetails.aspx? टाइप=k1 से लिया गया।
- 12. मिश्रा एस.क. एंड सिन्हा, ए. (2018) स्टार्टअप इंडिया : ए बून ऑर बेन फॉर इंडियाज़ मार्जिनेलाइज्ड कम्यूनिटीज़? जर्नल ऑफ़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स, 4(1), 68-76 से लिया गया।
- द हिन्दू (2019)। स्टार्टअप इंडिया : व्हाई विमेन एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट मेकिंग द कट। https://www.thehindu.com/business/Industry/ start-up-india-why-women-entrepreneurs-are-not-makingthe-cut/aticle28329050. ईसीई से लिया गया।
- 14. गुप्ता, वी एंड जैन, आर.के. (2017)। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनक्लूजिव ग्रोथ इन इंडिया : द रोल ऑफ़ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. जर्नल ऑफ़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, 8(2), 177-194 से लिया गया।

अंतिम छोर तक पहुँच

जनसंवारमाध्यमों से अंत्योदय

मीडिया अथवा जनसंचार माध्यम, हर व्यवस्था में आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, इसलिए वे उसके उत्थान में काफी योगदान कर सकते हैं। शासन और जनता के बीच सेतु का काम कर वे दोनों की बात एक-दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। देश के मूर्धन्य सामाजिक-आर्थिक चिंतकों में से एक, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार भी आम आदमी के कल्याण की ही बात करता है।

प्रो संजय द्विवेदी

महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

त्योदय, यानि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। यह स्वयं में अत्यंत रोचक तथ्य है कि जनविकास और लोकहित से जुड़े लगभग सभी कार्यक्रम इसी अंतिम व्यक्ति को, जिसे आम आदमी भी कहा जाता है, को केंद्र

में रखकर आरंभ होते हैं। लेकिन, अक्सर देखने में यह आता है कि उस तक पहुँचने का इनका मार्ग इतना लंबा है कि अंतिम व्यक्ति को ऐसी किसी भी योजना या कार्यक्रम का आंशिक लाभ ही मिल पाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ही पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की संकल्पना रखी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय दर्शन

अंत्योदय दर्शन के प्रणेता, पं. दीनदयाल उपाध्याय ने दशकों पहले ही यह विचार प्रतिपादित कर दिया था कि नीति-निर्धारण में निर्धन से निर्धन व्यक्ति के कल्याण की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। उनका कथन था कि सरकार में आसीन नीतियां बनाने वालों को किसी भी योजना या नीति बनाते समय यह अवश्य सोचना चाहिए कि उससे समाज के अंतिम व्यक्ति का क्या हित होने जा रहा है।

उपाध्याय जी का स्वयं का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, इसलिए वह आम आदमी की पीड़ा को बेहद करीब से महसूस कर सकते थे। यही वजह थी कि उन्होंने देश की बहुसंख्य जनता को अभावों और गरीबी के दुश्चक्र से निकालने के बारे में इतनी गंभीरता से सोचा। उनका मानना था कि यदि किसी समाज का कोई भी अंग, समूह या व्यक्ति पीड़ा का अनुभव करता है तो वह उस पूरे समाज को पीड़ा पहुँचाता है। उनके अनुसार, अंत्योदय एक स्वस्थ समाज की आवश्यक शर्त है। इसलिए समाज के योजनाकारों को अंत्योदयी होना जरूरी है, ताकि कोई व्यक्ति स्वयं को अलग-थलग महसूस न करे। उनका मानना था कि भारत की आर्थिक प्रगति का रास्ता यंत्रीकरण से नहीं, बल्कि कुटीर उद्योगों से होकर जाता है। क्योंकि मशीन 'कम मनुष्यों से अधिकतम उत्पादन' वाले सिद्धांत से काम लेते हुए अधिकतम मनुष्यों से उनकी जीविका छीन लेती है। इसलिए सभी देशों को कुटीर उद्योगों को ही अपनी अर्थनीति का आधार मानकर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए, ताकि किसी को अपनी आजीविका से हाथ न धोना पडे।

पंडित जी का आर्थिक चिंतन भारत के तत्कालीन यथार्थ पर आधारित था और उनका इस बात में दृढ़ विश्वास था कि आर्थिक विषमता को खत्म किये बिना व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा की स्थापना संभव नहीं है। उनका मानना था कि भारत की अर्थनीति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित लोगों के उत्थान पर केन्द्रित होनी चाहिए। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्षधर पं. दीनदयाल उपाध्याय वित्त के एकाधिकार, वितरण में असमानता, जमीन पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण के पक्ष में नहीं थे। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि राजनीति की तरह, अर्थव्यवस्था में भी व्यक्ति को उसकी रचनात्मक क्षमता के विकास के समुचित अवसर मिलें। समन्वयवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर दीनदयाल जी पूँजीवाद या समाजवाद की बहस में पड़ने की बजाय ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे, जिसका ध्येय सामाजिक सीढ़ी के सबसे नीचे के पायदान पर खड़े व्यक्ति की प्रगति और प्रसन्नता हो।



पंडित जी का अंत्योदय किसी भी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था के विपरीत समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी गुणों और प्रतिभा के मामले में दूसरों के बराबर लाने की बात कहता था। उनके अंत्योदय के विचार के केंद्र में व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति के विविध आयाम निहित थे। वह वंचित वर्ग के लिए विभिन्न सुविधाओं की बात तो करते थे, लेकिन गुणवत्ता के मामले में रियायत देकर उन्हें बौद्धिक रूप से कमजोर व अकर्मण्य बनाने को वह पाप मानते थे। उनका कहना था कि आर्थिक योजनाओं व प्रगति का पैमाना समाज के ऊपरी पायदान पर पहुँचा व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति होना चाहिए। 'हर हाथ को काम' की संकल्पना ही अंत्योदय के विचार का मूल है।

सरकार ने अपनाया अंत्योदय का विचार

यह एक विडंबना ही है कि एक दशक पहले तक, स्वातंत्र्योत्तर साढ़े छह दशकों के दौरान केंद्र में जो सरकारें रहीं, उनमें अधिकतर ने अंत्योदय के इस क्रांतिकारी विचार की गंभीरता को या तो समझा नहीं, या फिर जानबूझकर इसकी उपेक्षा की। लेकिन, करीब एक दशक पहले, परिस्थितियों ने करवट बदलीं। केंद्र में जब एक नई और अत्यंत मज़बूत सरकार का गठन हुआ, तो उसने न सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय विचारधारा के महत्व और इसे त्वरित व्यवहार में लाने की आवश्यकता को समझा, बल्कि गठन के केवल चार माह बाद ही इस विचार को एक मूर्त रूप भी प्रदान कर दिया। इसके अंतर्गत 25 सितंबर, 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना वस्तुत: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एकीकरण है। इस महत्वाकांक्षी योजना के दो घटक हैं। पहला घटक है दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई), जिसका क्रियान्वयन, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरा घटक है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसका संचालन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्र से संबंधित दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत देश के चार हजार से अधिक शहरों और कस्बों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अभी तक लगभग आठ सौ शहरों को कवर किया जा चुका है।

डीएवाई-एनयूएलएम का उद्देश्य और विशेषताएं

अवसरों की भरमार और समृद्धि का पर्याय नजर आने वाले शहरों की वास्तविकता इसके एकदम विपरीत है। आप किसी भी शहर को देख लीजिए, आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और अभावों से घिरा ही पाएंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम कम करते हुए इस स्थिति को बदलना है। इसके लिए आवश्यक है, उन्हें इतना सक्षम बनाना कि वे लाभ देने वाले स्वरोज़गार और कुशल श्रम रोज़गार के अवसरों का भरपूर उपयोग कर सकें। स्थाई अथवा नियमित आजीविका की उपलब्धता से उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा और उनका आधार मज़बूत होगा। योजना के अन्य लक्ष्यों



अंत्योदय योजना के प्रावधान और प्रभाव

यह योजना शहरी गरीबों के स्वामित्व, लाभ और अन्य हितकारी योजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए संस्था, निर्माण और उनकी क्षमताओं को मज़बूती प्रदान करने वाले कार्यक्रमों की संकल्पना और क्रियान्वयन में पारदर्शिता पर जोर देती है। इसमें सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है और सामुदायिक आत्मनिर्भरता, वैयक्तिक स्वावलंबन, स्वयं सहायता और परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के मूल में यह विश्वास है कि गरीब लोग मेहनती व उद्यमी होते हैं और चाहते हैं कि अपने दम पर वे अभावों और गरीबी से बाहर निकलें। उनकी क्षमताओं का उपयोग करके उनके लिए सार्थक और स्थायी जीविका के साधन पैदा करना, एनयूएलएम के लिए एक प्रमुख चुनौती है।

इसके अलावा एनयूएलएम का मानना है कि कोई भी आजीविका कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि उसका संचालन गरीबों और उनके संस्थानों द्वारा संचालित किया जाये। सुदृढ़ संस्थागत ढाँचे गरीबों के लिए उनके लिए निजी, सामाजिक, वित्तीय और अन्य संपत्तियों के निर्माण में सहायक होते हैं। इससे वे सरकारी और निजी क्षेत्रों से अधिकारों, अवसरों और सेवाओं को प्राप्ति करने में सक्षम बनते हैं और साथ ही उनकी एकता, कर्मठता और लेन-देन की शक्ति भी बढ़ती है।

एनयूएलएम का उद्देश्य, शहरी गरीबों को कौशल विकास और ऋण की सुविधाओं के लिए व्यापक स्तर पर शामिल करना है और उन्हें बाज़ार-आधारित कार्यों और स्वरोज़गार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने व सुगमता से ऋण दिलाने में प्रयास करना है।

एनयूएलएम का सड़क विक्रेताओं पर भी विशेष ध्यान है, जो कि शहरी जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद, पिरामिड के धरातल पर रहते हैं। सड़क विक्रय सरकारी हस्तक्षेप के बिना भी स्वरोज़गार का एक बड़ा म्रोत है और शहरी गरीबी उपशमन के एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करता है। शहरी आपूर्ति शृंखला में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए ये शहरी क्षेत्रों के अंदर, वहाँ की आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं। एनयूएलएम का उद्देश्य उन्हें अपने कार्य के लिए उपयुक्त स्थल प्रदान करना, संस्थागत ऋण सुलभ कराना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाज़ार के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनका कौशल बढ़ाना तथा सुविधाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना है।

एनयूएलएम मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध योजनाओं/कार्यक्रमों और कौशल, आजीविका, उद्यमिता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहायता आदि के कार्य निष्पादित करने वाले राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ तालमेल पर जोर देते हुए ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों की आजीविका के बीच एक पुल के

में बेघर शहरी आबादी को सर्वसुविधाओं से युक्त आश्रय स्थल उपलब्ध कराना भी है। इसके अलावा इस योजना में सड़क पर दुकान लगाकर सामान बेचने वाले वेंडरों की आजीविका से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है। और इस बात पर जोर दिया गया है कि उभरते हुए बाज़ारों द्वारा प्रदत्त अवसरों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके और इसके लिए उन्हें समुचित स्थापन, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोज़गार, सामूहिकता और संस्था विकास, शहरी गरीबों को सब्सिडी, निराश्रितों को आश्रय जैसी चीजें उपलब्ध कराना, इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ हैं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोज़गार मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कार्य में दक्ष बनाने के लिए प्रति व्यक्ति पंद्रह हजार रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त शहरी आजीविका केंद्रों के जरिये शहरी गरीबों को बाज़ारोपयोगी कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। सामूहिकता और संस्था विकास के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह गठित कर सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक समूह को दस हजार रुपये और पंजीकृत क्षेत्रों के महासंघों को पचास हजार रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा माइक्रो-इंटरप्राइज़ेज और ग्रुप इंटरप्राइज़ेज की स्थापना के जरिये भी स्व-रोज़गार को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए दो लाख रुपयों की ब्याज सब्सिडी और सामूहिक उद्यमों पर दस लाख रुपयों की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के अन्य प्रावधानों में बुनियादी ढाँचे की स्थापना के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं के लिए विक्रेता बाज़ार का विकास और उनके क्षेत्र से संबंधित कौशल को बढ़ावा और कूड़ा उठाने वालों और दिव्यांगजनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएँ शामिल हैं।

अंत्योदय या अंतिम आदमी के उत्थान में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सही है कि वह समाज को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक है कि पहले व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जाए। क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। जब व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा तो समाज तो स्वतः ही बदल जाएगा। रूप में ग्रामीण-शहरी प्रवासियों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावोर् देने के लिए सभी संबंधित विभागों से एक संयुक्त कार्यनीति बनाये जाने का समर्थन करता है।

एनयूएलएम शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोज़गार और आश्रय के प्रचालन में सहायता प्रदान करने के लक्ष्य को निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। साथ ही यह शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोज़गार और आश्रय प्रदान करने तथा साथ ही ऐसे शहरी गरीब उद्यमियों को जो कि स्वरोज़गार प्राप्त करना तथा अपने निजी लघु व्यावसायिक अथवा विनिर्माण यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, प्रौद्योगिकीय, विपणन और एकजुट सहयोग देने में सहायता प्रदान करने में निजी और सिविल समाज के क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रयासरत है।

अंत्योदय का वाहक मीडिया

सच बात तो यह है कि अंत्योदय एक ऐसा शाश्वत और सर्वव्यापी विचार है, जिसकी आवश्यकता न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को है। राजनीति या प्रशासन को ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में इसे लागू किये जाने की आवश्यकता है। कोई भी इकाई, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, छोटी हो या बड़ी, नई हो या पुरानी, उससे जुड़े लोगों को हमेशा एक बहुस्तरीय व्यवस्था में काम करना होता है। अब होता यह है कि यह बहुस्तरीय व्यवस्था अक्सर विभेद करने वाली व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। इस वजह से अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति उपेक्षा और शोषण का शिकार बने रहने के लिए अभिशप्त होता है। यदि शुरू से इस पर ध्यान दिया जाए तो संगठनात्मक स्तर पर होने वाले भेदभाव व अन्याय से बचा जा सकेगा। जिसका सकारात्मक असर उस संगठन के प्रदर्शन की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा।

आज का दौर तो सूचना क्रांति का दौर है, इसने मीडिया की शक्ति भी बढ़ाई है और रफ्तार भी। आज हम पहले की बनिस्बत, ज्यादा तेज़ी से सूचनाओं तक पहुँच सकते हैं और इससे भी अधिक तेज़ी से उन सूचनाओं को जनता तक पहुँचा सकते हैं। प्रौद्योगिकी में आये बदलावों और तकनीकी विकास की बदौलत हमें मिली इस नई ताकत को तो हमने पहचान लिया है, लेकिन इसका भरपूर इस्तेमाल हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। माउक्सिंग माध्यम, जिसे आम भाषा में मीडिया के नाम से जाना जाता है, हमेशा से ही एक स्वस्थ समाज और सुदृढ़ लोकतंत्र की आधारशिला रहे हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ यूं ही नहीं कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के शेष तीन अंगों, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के विपरीत यह इस व्यवस्था का एकमात्र ऐसा हिस्सा है, जो खुद चलकर समाज की आखिरी सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचता है और वह व्यक्ति भी जब चाहे, उस तक पहुँच सकता है। क्योंकि उसे विश्वास है कि यहां उसकी बात सुनी जाएगी, उसे सही जगह तक पहुँचाया जाएगा और समाधान पाने में उसकी पूरी मदद की जाएगी और मीडिया ने कभी उसके इस विश्वास को धूमिल भी नहीं होने दिया है।

my For Edu

पिछली कुछ सदियों में हमने पूरी दुनिया में समय-समय पर मीडिया को आम आदमी की ताकत बनते देखा है। उसने उसे आततायी शासकों से छुटकारा दिलाया है, अमानवीय प्रथाओं के माध्यम से सदियों से चले आ रहे शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलायी है। कभी वह इस अंतिम आदमी की आवाज बना है, कभी आँख बना तो कभी उसका दिमाग बनकर उसे सही राह दिखाई है। अनेक निरंकुश सत्ताओं, सामाजिक कुरीतियों के अंत में संचार माध्यमों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया में वह ताकत है, जिससे किसी भी व्यक्ति, संगठन, समुदाय और समाज को राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध व शक्तिशाली बनाने में समर्थ है।

आज़ादी से आपातकाल तक, आंदोलनों से युद्धकाल तक, आधुनिक दौर में भी हम बार-बार मीडिया की इस अतुल्य ताकत के साक्षी बने हैं। इस नाते मीडिया में यह सामर्थ्य है कि वह अंत्योदय के विचार को अपनाकर समाज और देश की हर छोटी से छोटी इकाई के उत्थान और सशक्तीकरण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आज का दौर तो सूचना क्रांति का दौर है, इसने मीडिया की शक्ति भी बढ़ाई है और रफ्तार भी। आज हम पहले की बनिस्बत, ज्यादा तेज़ी से सूचनाओं तक पहुँच सकते हैं और इससे भी अधिक तेज़ी से उन सूचनाओं को जनता तक पहुँचा सकते हैं। प्रौद्योगिकी में आए बदलावों और तकनीकी विकास की बदौलत हमें मिली इस नई ताकत को तो हमने पहचान लिया है, लेकिन इसका भरपूर इस्तेमाल हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सूचनाओं के इस महासमंदर में हम खबरों को लेकर सलेक्शन से ज्यादा कलेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से हर सेकेंड जनता पर खबरों की बमबारी होती रहती है, लेकिन दिन भर में ऐसी खबरें नहीं के बराबर ही होती हैं, जो उसके काम की हों।

अगर अंत्योदय की अवधारणा को सही अर्थों में चरितार्थ करना हो तो हमें अपने नजरिये और तौर–तरीकों में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने होंगे। अपनी सोच को बाज़ारोन्मुख बनाते

मदद कर सकता है। मीडिया को चाहिए कि वह खबरों को सिर्फ खबरों के रूप में ही पेश करे ताकि वे पाठक या दर्शक को सोचने के लिए प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करे।

मीडिया पर समाज के अलग-अलग वर्गों के हितों की रक्षा का दायित्व होता है। इसके लिए वह हमेशा कमेंटेटर की भूमिका में नहीं रह सकता। समाज के पथप्रदर्शक और नेतृत्वकर्ता के रूप में उसे अगर कभी अम्पायर जुद्दुते की आवश्यकता महसूस हो तो उसे इसमें भी संको के जुभव नहीं करना चाहिए। उसका काम सिर्फ लोगों के सूचना या समाचार पहुँचाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें यह के सूचना भी है कि सही क्या है और गलत क्या है और कौन-सी सुचना, उसके हितों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है।

समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन और समरसता बनाये रखना भी मीडिया का एक और अहम दायित्व है। यदि वे व्यर्थ की चीजों में फंसकर एक-दूसरे के प्रति वैमनस्य और घृणा से भरे रहेंगे तो कभी अपने स्वयं के उत्थान पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। वे इन चीजों में न उलझें, इसका ध्यान भी मीडिया को ही रखना होगा। उसे सकारात्मक और प्रेरणा देने वाली सामग्री के प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ताकि लोगों में मिलकर चलने और एक-दूसरे का साथ देने की प्रवृत्ति विकसित हो।

यह सही है कि मीडिया आम आदमी की आवाज है, लेकिन उसकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं है। वह आम आदमी और सरकार के बीच एक पुल का कार्य करता है। वह आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में उसकी बात, उसकी जरूरतें, उसकी समस्याएं सरकार तक पहुँचाकर, जनहितैषी नीतियों के निर्माण में सरकार के मार्गदर्शक सलाहकार का काम कर सकता है। वहीं, वह सरकार की प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों को जागरूक कर सकता है। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार सरकार तो योजनाएं लॉन्च कर देती है, लेकिन आम जनता तक उनकी जानकारी नहीं पहुँच पाती और अधिसंख्य लोग उनका लाभ उठाने से चूक जाते हैं। चूंकि मीडिया सीधे आमजन से जुड़ा होता है, इसलिए क्षेत्र या समुदाय विशेष के लिए योजनाएं तैयार करते समय मीडिया से प्राप्त इनपुट अधिक कारगर योजनाएं बनाने में सरकार की सहायता कर सकता है।

आज तो तकनीक ने मीडिया की पहुँच को इतना विस्तार दे दिया है कि कोई भी सूचना या समाचार पल भर में संबंधित व्यक्तियों तक पहुँच जाते हैं। इस सुविधा का लाभ अंत्योदय के सपने को साकार करने में किया जा सकता है। मास मीडिया, सोशल मीडिया के साथ मिलकर, इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बस इसमें सावधानी यही रखनी है कि ऐसी जानकारियों का प्रसार सही और विश्वसनीय संचार माध्यमों के जरिये ही हो, वरना अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी।



जाने की बजाय, व्यक्ति-उन्मुख बनाना होगा। हमें अतीत में अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित होते रहने की बजाय इस बात पर आत्ममंथन करना होगा कि वर्तमान समाज में हम अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं, आमजन के विकास और उत्थान में क्या योगदान दे रहे हैं।

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, पारंपरिक अवधारणा के अनुसार, मीडिया के यही तीन प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। और तीनों के लिए क्रमश: खबर, आलेख व मनोरंजक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन, वर्तमान समय में चल रही दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में हमने खबरों को ही मनोरंजन का माध्यम बना दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी को ही हुआ है, जिसके लिए हम अंत्योदय की कामना करते हैं। हमने उसे सूचनाओं के एक ऐसे महासागर में लाकर छोड़ दिया है, जहां वह सही-गलत और अच्छे-बुरे में फर्क करने की अपनी सामर्थ्य खो बैठा है। वह नहीं समझ पाता कि कौन-सी सूचना उसके हित में है और कौन-सी उसके विरुद्ध जा सकती है। एक जिम्मेदार मीडिया के रूप में हम उसे उसकी यह काबिलियत लौटा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी जड़ों की और लौटना होगा और फिर से सनसनी की बजाय सही सूचना और सही शिक्षा देने पर ध्यान देना होगा।

बदलाव जो मीडिया ला सकता है

अंत्योदय या अंतिम आदमी के उत्थान में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सही है कि वह समाज को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक है कि पहले व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जाए। क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। जब व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा तो समाज तो स्वत: ही बदल जाएगा।

आइए जानें कि अंत्योदय के इस महायज्ञ में जनसंचार माध्य्म किस प्रकार और क्या योगदान दे सकते हैं:

वास्तविक और तथ्यपरक सूचनाओं का वाहक बनकर मीडिया लोगों को सही और पथप्रदर्शक सामग्री प्राप्त करने में

इंक्यूबेटर्स : सक्षम करते हैं विकास व वृद्धि

स्टार्टअप्स (बहुत शुरुआती चरण की कंपनियां) के विकास में इंक्यूबेटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक स्टार्टअप के नवप्रवर्तन को आगे बढ़ाने और सहयोग देने के लिए बुनियादी ढाँचा, सलाह और वित्तीय सहायता जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। भारत में 400 से अधिक इंक्यूबेटर हैं जिनमें से अधिकांश शैशव अवस्था में हैं। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य मौजूदा इंक्यूबेटरों की क्षमता बढ़ाना और नये इंक्यूबेटरों की स्थापना में सहायता प्रदान करना है।

इंक्यूबेटर क्या होता है?

ובי רגס

बिजनेस (व्यवसाय) इंक्यूबेटर्स ऐसे संगठन हैं जो उद्यमियों को उनके व्यवसायों को स्थापित करने में सहायता करते हैं, विशेष रूप से शुरुआती चरणों में। ये ऐसे संगठन हैं जो स्टार्ट-अप और शुरुआती चरण के व्यवसायों की वृद्धि और सफलता को गति देने के लिए समर्पित हैं।

अटल नवाचार मिशन क्या है?

एआईएम (अटल इनोवेशन मिशन) नवाचार और उद्यमी कौशल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक प्रमुख पहल है।

यह एक विभिन्न श्रेणियों को शामिल करने वाली संरचना है जो नवाचार को बढ़ावा देने और देश के उद्यमी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने का काम करती है।

यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां और कार्यक्रम बनाती है, साथ ही उद्यमशीलता के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को सहयोग देने के लिए एक मंच और अवसर प्रदान करती है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है?

एआईएम का उद्देश्य, अटल इंक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) के रूप में जाने जाने वाले नये ग्रीनफील्ड (जिसे अभी विकसित किया जाना है) इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करने में सहायता करना है, जो मापनीय और टिकाऊ व्यावसायिक उद्यम बनाने में नवीनतम स्टार्ट-अप को विकसित करेंगे।

एआईएम इन एआईसी को उनके इंक्यूबेशन स्टार्ट-अप्स को अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा, पूँजीगत उपकरण और परिचालन सुविधाएं प्रदान करके देशभर में विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन स्टार्ट-अप्स के विकास में सहायता करेगा, साथ ही परामर्श के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों को भी उपलब्ध कराएगा।

इसके अलावा, व्यवसाय नियोजन (बिजनेस प्लानिंग) में सहायता, आरंभिक पूँजी प्राप्त कर पाने में मदद, उद्योग साझेदारी, प्रशिक्षण और नवप्रवर्तन स्टार्ट-अप को सहयोग देने के लिए अन्य आवश्यक घटक प्रदान किए जाएंगे।



यही नहीं, अधिकांश स्थापित एआईसी विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, स्वच्छता, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (ऐसी अवधारणा जिसमें सभी उपकरण जो ऑन या ऑफ़ स्विच से चलते हैं, उन्हें इंटरनेट के साथ जोड़ दिया जाए), साइबर सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट होंगे, ताकि विशिष्ट क्षेत्रों में अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार को बढा़वा दिया जा सके।

स्थापित इंक्यूबेशन सेंटर क्या है?

हाल के वर्षों में शिक्षाविदों, उद्योग, निवेशकों, उद्यमियों, सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों ने देशभर में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की पहल की है। ये ब्राउनफील्ड (जब कोई व्यापार या संगठन नई औद्योगिक गतिविधि शुरू करने से पहले मौजूद विनिर्माण सुविधाओं को खरीदता या किराए पर देता है) पहल से स्थापित स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं, जिन्हें अपनी इंक्यूबेशन क्षमता को कई गुना बढ़ाने, विकसित और उन्नत करने के लिए सहयोग देने की आवश्यकता है और इन इंक्यूबेशन केंद्रों, विश्वविद्यालयों और कॉरपोरेट्स (संगठन

या समूह) के बीच संबंधों को मज़बूत करके एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

एआईएम बड़े पैमाने पर वित्तीय सहयोग देने के प्रावधान के माध्यम से देश में इन स्थापित (एस्टेबलिश्ड) इंक्यूबेशन सेंटर (ईआईसी) को सशक्त बनाने की दिशा में काम करता है। यह योजना ईआईसी को विश्व स्तरीय मानकों में उन्नत करके देश में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े पैमाने पर बदल देगी। ये ईआईसी अभिनव और उच्च स्तर पर वृद्धि करने वाले स्टार्टअप की सहायता करेंगे और देश में एक बेहतरीन उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद करेंगे।

क्या एआईसी के बारे में इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं?

हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। एआईसी के बारे में विस्तार से जानने के लिए लिंक पर जाएं, (लिंक: aim.gov.in/aic-virtual-tour.php)

एमएएआरजी पोर्टल क्या है?

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने नवंबर 2022 में एमएएआरजी (MAARG) पोर्टल, स्टार्टअप इंडिया के नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप पंजीकरण शुरू किया।

एप्लिकेशन का लक्ष्य स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करके और नवाचार और उद्यम कौशल के लिए एक मज़बूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और बढा़वा देना है।

एमएएआरजी पोर्टल (मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएंस और ग्रोथ) सभी क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि के स्टार्टअप के लिए एक ही जगह पर सब कुछ उपलब्ध कराने वाला माध्यम है।

एमएएआरजी प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है?

प्रत्येक उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर मेंटर (परामर्शदाता) या स्टार्टअप के रूप में लॉग-इन कर सकता है। अपने बारे में सारी जानकारी वहाँ डालने के बाद, प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एक मशीन में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना) का उपयोग क्षेत्र, प्रगति और कार्यात्मक कौशल योग्यता के आधार पर परामर्शदाता (मेंटर्स) और स्टार्टअप्स से मिलान करने के लिए करेगा। कोई भी पक्ष वांछित संरक्षक/स्टार्टअप को जुड़ने का अनुरोध भेज सकता है, और अनुरोध स्वीकार होने के बाद परामर्श शुरू हो सकता है। प्रगति का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रत्येक परामर्शदाता पर नजर रखी जाएगी। सत्रों के बाद, सलाहकारों और स्टार्टअप्स को उनके संबंधित डैशबोर्ड में सत्र विवरण अपडेट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जैसे





सत्र की अवधि, विशिष्ट विषय आदि। यदि सत्रों का विवरण नहीं डाला जाता, तो उपयोगकर्ता अगले सत्र के लिए समय निर्धारित नहीं कर पाएँगे। इस बात का ध्यान रखें कि परामर्श सत्र वीडियो और बातचीत गुणवत्ता के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

कॉहोर्ट-आधारित प्रोग्राम क्या है?

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पार्टनर्स (सहभागियों) के सहयोग से मेंटरशिप पोर्टल पर कॉहोर्ट-आधारित प्रोग्राम (सीबीपी) संचालित किए जाएंगे। पोर्टल पर, उद्योग संघों, इंक्यूबेटरों, त्वरक, शिक्षाविदों और विभिन्न स्टार्टअप नेटवर्क (यूनिकॉर्न्स, सफल स्टार्टअप्स, पेशेवरों आदि के लिए) जैसे साझेदार समूह-आधारित, सीमित-अवधि के मेंटरशिप कार्यक्रमों की मेजबानी करने में सक्षम होंगे। सीबीपी को स्टार्टअप इंडिया के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे 'प्रारंभ' और 'एससीओ' स्टार्टअप फोरम में भी आयोजित किया जा सकता है। ध्यान रखें कि परामर्श सत्र वीडियो और बातचीत गुणवत्ता के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

क्या यह सशुल्क सेवा होगी?

नहीं, एमएएआरजी पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाएँ पूरी तरह से मुफ्त और नि:शुल्क होंगी।

क्या एमएएआरजी पोर्टल का कोई टोल-फ्री नंबर है?

हाँ। अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800115565 पर संपर्क कर सकते हैं। आईआईटी-मदास इंक्यबेशन सेल क्या है?

आईआईटीएम इंक्यूबेशन सेल आईआईटी मद्रास में समन्वय और उत्कृष्टता के विभिन्न पहलुओं में तालमेल करता है जो अत्याधनिक अनुसंधान, औद्योगिक बातचीत, भारत का पहला विश्वविद्यालय संचालित आईआईटीएम रिसर्च पार्क, और ग्रामीण, सामाजिक और औद्योगिक प्रौद्योगिक क्षेत्रों में इंक्यूबेशन का एक शानदार रिकॉर्ड बनाने सहित नवाचार और उद्यम कौशल को संचालित करता है।

आईआईटीएमआईसी, एक गैर-लाभकारी धारा 8 कंपनी, को स्टार्टअप इंडिया, डीआईपीपी और एनएसटीईडीबी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर के रूप में नामित किया गया है। आईआईटीएमआईसी, आईआईटीएम के छात्रों, शिक्षकों, वहाँ कार्यरत लोगों और वहाँ के पूर्व छात्रों के साथ-साथ बाहरी उद्यमियों को सफल 'डीप टेक स्टार्टअप' शुरू करने, उद्योगों को विच्छिन करने और समग्र रूप से समाज को लाभ पहुँचाने में सहायता करता है।

आईआईटी-मद्रास इंक्यूबेशन सेल के कार्य क्या हैं?

आईआईटीएम इंक्यूबेशन सेल (आईआईटीएमआईसी) आईआईटीएम मद्रास में नवाचार और उद्यम कौशल को बढा़वा देने और पर्यवेक्षण के लिए सहायता संगठन के रूप में कार्य करता है। आरटीबीआई जैसे संगठनों के माध्यम से इंक्यूबेशन के एक लंबे इतिहास के साथ, आईआईटी मद्रास ने ई-सेल, सीएफआई, सीएसआईई और आईआईटीएमईएफ (अधिक पढ़ने के लिए) जैसे संगठनों के माध्यम से नवाचार का बीड़ा उठाया है। आईआईटीएमआईसी संस्थान में नवाचार संचालित गतिविधियों को समन्वित करने और बढ़ावा देने के लिए सेवा करते हुए उद्यम कौशल को सुदृढ़ करने के लिए इन अनुभवों का लाभ उठाएगा।

आईआईटीएमआईसी का उद्देश्य उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने और उनके उद्यमों को आगे बढाने में मदद करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके उनका स्टार्ट-अप किस अवस्था में है, उसके माध्यम से प्रौद्योगिकी और ज्ञान-आधारित उद्यमों को बढावा देना है। आईसी का उद्देश्य अंतरिक्ष और बुनियादी ढाँचे, व्यापार सहायता सेवाओं तक पहुँच, परामर्श, उद्यमियों के कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रारंभिक मूलधन जैसे संसाधनों को निर्मित व साझा करना है। सहयोग का दायरा व्यापक है. और इसमें पूरी तरह से संस्थान में या आंशिक रूप से अन्य संगठनों के साथ सहयोग के साथ-साथ बाहरी स्टार्ट-अप के माध्यम से विकसित तकनीकें/आईपी शामिल हैं. जिनके साथ आईआईटीएम के सदस्य सलाहकार या संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आईआईटीएम-आईसी भी विशेष रूप से उन प्रस्तावों में रुचि रखता है जो सामाजिक रूप से प्रभावी हैं। संदर्भ

- Press Information Bureau (www.pib.gov.in)
- www.startupindia.gov.in/content/sih/en/ams-application/ incubator-program.html
- www.iitm.ac.in/research-park/incubation-cell
- www.aim.gov.in
- MAARG (www.startupindia.gov.in)

विकास पथ




जेमः स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में लाना

Efficient • Transparent • Inclusive

ग वर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खरीदारों और विक्रेताओं के लिए खरीद गतिविधियों को निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी तरीके से करने के लिए समावेशी, दक्ष और पारदर्शी प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जेम ने प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं के डिजिटीकरण, सभी हितधारकों के डिजिटल एकीकरण और विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से देश में सार्वजनिक खरीद के पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। जेम इसका उदाहरण है कि विरासती प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करने और फिर से कल्पना करने के लिए रणनीतिक और स्पष्ट इरादे के साथ बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे देश के साथ-साथ वॉचतों के लिए स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं।

जेम प्लेटफॉर्म कई खरीद तरीकों (सीधी खरीद, निम्नतम मूल्य, बोली, रिवर्स नीलामी, बोली के बाद रिवर्स नीलामी) को सक्षम बनाता है। जेम एक भरोसा-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है और संपर्क रहित, पेपरलेस और कैशलेस है, जहां संबंधित डोमेन डेटाबेस के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का प्रमाणीकरण किया जाता है। बाजार में



स्वचालित बाज़ार समायोजन के साथ-साथ शुरू से अंत तक डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए नीतियां शामिल हैं जो एक संपन्न खरीदार-विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती हैं।

जेम का दृष्टिकोण पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता के तीन स्तंभों के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा रेखांकित किया गया है:

- पारदर्शिता: जेम एक खुला बाज़ार है जहां यह पारदर्शी तरीके से सूचना तक खुली पहुँच को बढ़ावा देता है। विक्रेताओं, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसानी से मिल जाती है और उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जेम निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपने उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए डेटाबेस अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- 2. समावेशन: समावेशन पर जेम का फोकस बहुआयामी है, जिसमें न केवल प्लेटफॉर्म को हर प्रकार के विक्रेता के लिए उपयोग करने योग्य और विश्वसनीय बनाना शामिल है, बल्कि छोटे तथा मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और कारीगरों सहित हाशिए पर पड़े और कम सेवा वाले विक्रेता सेगमेंट तक सक्रिय पहुँच बनाना भी शामिल है।
- दक्षताः एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन और एकीकृत पोर्टल होने के मद्देनजर, जेम सार्वजनिक खरीद के विभिन्न चरणों में मैन्युअल हस्तक्षेप को हटाकर सार्वजनिक खरीद में दक्षता लाता है।

जेम ने 1.5 लाख से अधिक भारतीय डाकघरों और 5.2 लाख से अधिक ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई), के साथ सीएससी के माध्यम से अंतिम-मील आउटरीच और सेवा वितरण के लिए सफलतापूर्वक एकीकरण किया है।

स्वचालन और प्रक्रियाओं के डिजिटीकरण के माध्यम से, जेम ने उच्च प्रक्रिया दक्षता, बेहतर सूचना साझाकरण, बेहतर पारदर्शिता, कम प्रक्रिया चक्र समय और बोलीदाताओं के बीच उच्च स्तर के विश्वास का नेतृत्व किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धा और उच्च बचत हुई है। जेम में इन नवाचारों से खरीददारों के लिए प्रतीक्षा समय और कीमतों में काफी कमी आई है और विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है। इससे भारत में सार्वजनिक खरीद में गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ समग्र कारोबार सुगमता में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

(स्रोत: पीआईबी)